بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ


وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

साप्ताहिक क़ादियान

# बदर

Weekly BADAR Qadian HINDI

संपादक
शेख मुजाहिदअहमद

वर्ष- 11
अंक 5

Postal Reg. No.GDP -45/2026-2028

09 शाबान 1447 हिज्री कमरी, 29 सुलह 1405 हिज्री शम्सी, 29 जनवरी 2026 ई.


## अल्लाह तआला का आदेश

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُبَایِعُوۡنَکَ اِنَّمَا یُبَایِعُوۡنَ اللّٰہَ ؕ یَدُ اللّٰہِ فَوۡقَ اَیۡدِیۡہِمۡ ۚ فَمَنۡ نَّکَثَ فَاِنَّمَا یَنۡکُثُ عَلٰی نَفۡسِہٖ ۚ وَمَنۡ اَوۡفٰی بِمَا عٰہَدَ عَلَیۡہُ اللّٰہَ فَسَیُؤۡتِیۡہِ اَجۡرًا عَظِیۡمًا ﴿۱۱﴾

**(سورۃالفتح:11)**

अनुवाद : निश्चय ही जो लोग तुमसे बैअत करते हैं, वे वास्तव में अल्लाह ही से बैअत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। अतः जो कोई अपने वचन को तोड़ता है, वह अपने ही हित के विरुद्ध उसे तोड़ता है; और जो उस वचन को पूर्ण करता है, जिसे उसने अल्लाह से बाँधा है, तो अल्लाह निश्चय ही उसे अत्यन्त महान प्रतिफल प्रदान करेगा।

## पर्दे का महत्व

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْتَجِبَا مِنْهُ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

(सुनन तिर्मिज़ी, पुस्तक शिष्टाचार, अध्याय: स्त्रियों का पुरुषों से पर्दा करना)

उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा वर्णन करती हैं कि वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास उपस्थित थीं और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा भी वहीं मौजूद थीं। इसी दौरान, जब हम दोनों आपके पास बैठी थीं, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम आए और आपके पास आ पहुँचे। यह उस समय की घटना है जब हमें पर्दे का आदेश दिया जा चुका था।

तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम दोनों उन्हें देखती नहीं हो?

हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वे कहते हैं: मैंने रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से आकस्मिक पड़ जाने वाली दृष्टि के विषय में पूछा, तो आपने फ़रमाया: "अपनी दृष्टि फेर लो।" (सुनन अबी दाऊद, पुस्तक: विवाह, अध्याय: दृष्टि नीची रखने का आदेश)

## जब गैर-मोहरम पुरुष और स्त्री एकत्र होते हैं, तो उनमें तीसरा शैतान होता है।

## हज़रत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"आजकल पर्दे पर आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि इस्लामी पर्दे से अभिप्राय कारावास नहीं है, अर्थात क़ैदख़ाना नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की रोक है, जिससे गैर-पुरुष और स्त्री एक-दूसरे को न देख सकें। जब पर्दा होगा तो ठोकर से बचाव होगा।

कोई भी निष्पक्ष बुद्धि वाला व्यक्ति यह स्वीकार कर सकता है कि ऐसे समाजों में, जहाँ गैर-पुरुष और स्त्रियाँ खुलकर, निर्भीकता से एकत्र हों, साथ घूमें-फिरें, वहाँ वासनात्मक भावनाओं से विवश होकर ठोकर न खाने की स्थिति कैसे रह सकती है।

अनेक अवसरों पर देखा और सुना गया है कि ऐसी जातियाँ इस बात को भी बुरा नहीं समझतीं कि गैर-पुरुष और स्त्री एक ही मकान में अकेले रहें, चाहे द्वार भी बंद हो। वे इसे सभ्यता कहते हैं।

इन्हीं दुष्परिणामों को रोकने के लिए इस्लाम के विधाता ने उन सभी बातों की अनुमति ही नहीं दी जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनें। ऐसे अवसर पर यह कह दिया गया कि जहाँ इस प्रकार गैर-महरम पुरुष और स्त्री एकत्र हों, वहाँ तीसरा शैतान होता है।

उन अपवित्र परिणामों पर विचार करो जिन्हें यूरोप इस उच्छृंखल शिक्षा के कारण भुगत रहा है, अर्थात अत्यधिक स्वतंत्रता वाली शिक्षा के कारण। वहाँ लज्जा और संकोच नाममात्र भी नहीं रहे और कई स्थानों पर पूर्णतः लज्जाजनक, वेश्यावृत्ति-सदृश जीवन व्यतीत किया जा रहा है। यह सब इन्हीं शिक्षाओं का परिणाम है।

यदि किसी वस्तु को विश्वासघात से बचाना चाहते हो तो उसकी रक्षा करो। लेकिन यदि रक्षा न करो और यह मानते रहो कि लोग भले-मानस हैं, तो स्मरण रखो कि वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाएगी।

इस भ्रांति में न पड़े रहो कि समाज ठीक है, हमें कोई नहीं देख रहा, यहाँ के वातावरण में पर्दे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोगों को देखने की आदत नहीं है। फ़रमाया कि यदि यह मानकर चलोगे कि लोग भले हैं, तो स्मरण रखो कि वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाएगी।"

(मल्फ़ूज़ात, भाग प्रथम, पृष्ठ 30-29, नवीन संस्करण)

## तफ़सीर-ए-कबीर से अंश

## आयत اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا की तफ़सीर

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सूरह नूर की आयत संख्या 32 وَلَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَہُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنۡہَا की व्याख्या में फ़रमाते हैं:

अर्थात "इल्ला मा ज़हर मिन्हा" के अंतर्गत किसी विवशता के कारण जितना भाग अनावृत करना पड़े, उतना किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कृषक स्त्री यदि मुख पर नक़ाब डाल ले, तो वह निराई-गुड़ाई या कृषि-कार्य से संबंधित अन्य कार्य नहीं कर सकती। अतः उसके लिए यह अनुमत होगा कि वह हाथों को तथा आँखों से लेकर नाक तक के भाग को खुला रखे, ताकि कार्य कर सके।

लेकिन जिन स्त्रियों को इस प्रकार के कार्य नहीं करने पड़ते, बल्कि केवल भ्रमण आदि के लिए बाहर निकलना होता है, उनके लिए यही आदेश है कि वे अपने मुख को ढकें।

अतः "इल्ला मा ज़हर मिन्हा" का अर्थ यह है कि वह अंग जो स्वयं ही प्रकट हो जाए और जिसे किसी विवशता के कारण छिपाया न जा सके, चाहे वह विवशता शारीरिक बनावट की दृष्टि से हो जैसे कद, जो स्वयं एक शोभा है, परंतु उसे छिपाना असंभव है, इसलिए शरीअत उसे प्रकट करने से नहीं रोकती अथवा रोग की दृष्टि से हो, कि उपचार के लिए शरीर का कोई भाग

शेष 12 पर

## अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़ज़ल नाज़िल करता रहे। आमीन

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

# द'अवत इलाल्लाह (खुदा तआला की ओर बुलाना) एक अहमदी का सामुदायिक कर्तव्य

(संपादकीय)

सय्यदना हज़रत अक़दस अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने जुमे के खुत्बा दिनांक 12 दिसंबर 2025 में समस्त अहमदियों, विशेष रूप से वक़्फ़े-ज़िंदगी करने वालों, को उनके सामुदायिक कर्तव्य खुदा तआला की ओर बुलाने की ओर ध्यान दिलाया। हुज़ूर अनवर ने खुदा तआला की ओर बुलाना की शर्तों और उसके शिष्टाचारों का वर्णन करते हुए फ़रमाया कि आज भी पूरे विश्व में मुसलमानों की जनसंख्या चौथाई भाग से भी कम है, और इसका कारण यही है कि बुद्धिमत्ता के साथ द'अवत इलाल्लाह नहीं किया गया और इस्लाम के संदेश को ठीक प्रकार से संसार तक पहुँचाया नहीं गया। मुसलमान यह समझते हैं कि युद्ध के माध्यम से हम इस्लाम का संदेश पहुँचा देंगे, जबकि युद्ध की अनुमति तो केवल उस समय है जब शत्रु आक्रमण करे। फ़रमाया कि मुसलमानों की सामान्य दशा यह है कि वे केवल तलवार के बल पर इस्लाम फैलाना चाहते हैं, जबकि आंतरिक रूप से इस क़दर मतभेद हैं कि मुसलमानों को इन मतभेदों से बाहर निकलना तो दूर, वे एक-दूसरे को गिराने से ही अवकाश नहीं पाते।

अतः मुसलमान दोहरी दलदल में फँसे हुए हैं  एक, प्रत्येक संप्रदाय के पारस्परिक मतभेद, जिनके परिणामस्वरूप आपसी अत्यधिक शत्रुता; और दूसरे, युद्ध के माध्यम से इस्लाम फैलाने की गलत धारणा। ये दोनों कारण मुसलमानों को सही मार्ग पर आगे बढ़ने से निरंतर रोक रहे हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को उपदेश देते हुए फ़रमाया था कि:

अब छोड़ दो युद्ध का, हे मित्रो, विचार
धर्म हेतु अब वर्जित है संग्राम और संहार।

और साथ ही आपने निर्णायक एवं न्यायकारी के रूप में मुसलमानों के पारस्परिक मतभेदों के समाधान भी प्रस्तुत किए थे, किंतु दुर्भाग्य से इन दोनों बातों को मुसलमान विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया, और विद्वानों के संबंध में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई कि उनके विद्वान आकाश के नीचे सबसे निकृष्ट प्राणी होंगे। यहाँ तक फ़रमाया कि उनकी दशा सूअरों और बंदरों के समान हो जाएगी।

अतः आज इस्लाम के प्रसार का कार्य केवल और केवल जमाअत अहमदिया का कार्य है, क्योंकि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा तआला की ओर बुलाने के साधन और उन्हें प्रयोग करने की विधि जमाअत अहमदिया को सिखाई है।

हज़रत अक़दस अमीरुल मोमिनीन का यह प्रवचन प्रत्येक अहमदी मुसलमान, विशेष रूप से वक़्फ़े-ज़िंदगी करने वालों, के लिए समय की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने उपदेश देते हुए फ़रमाया:

"हमें इस बात को सदा सामने रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हमने जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत की है और आपसे निष्ठा का वचन बाँधा है, हमें इस पर आचरण करना है कि हम खुदा तआला से संबंध स्थापित करें, उसकी शिक्षा सीखें, और उस पर आचरण करते हुए संसार को भी यह संदेश पहुँचाएँ।"

द'अवत इलाल्लाह के संबंध में हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कुछ आवश्यक उपदेश दिए, जो निम्नलिखित हैं। फ़रमाया:

"जो लोग द'अवत इलाल्लाह करते हैं, कभी-कभी क्रोध में आकर विरोधी की भाषा प्रयोग करने लगते हैं। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारा द'अवत इलाल्लाह सदाचार की सीमा में ही हो। उनके पास तर्क नहीं है, इसलिए वे अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं; लेकिन यदि हम भी अनुचित भाषा प्रयोग करने लगेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि हमारे पास भी कोई तर्क नहीं।"

इसी प्रकार हुज़ूर अनवर ने खुदा तआला की ओर बुलाने वालों को यह भी उपदेश दिया कि ऐसी शैली में बात करो जिसे दूसरा समझ सके और जिससे उसकी भ्रांति दूर हो सके।

हुज़ूर अनवर ने द'अवत इलाल्लाह करने वालों को यह भी उपदेश दिया कि सत्य के अनुरूप बात करें  वही बात करें जो घटनाओं के ठीक अनुकूल हो और जिसमें अतिशयोक्ति न हो। यह भी उपदेश दिया कि विभिन्न तर्कों में से जो सबसे श्रेष्ठ और दृढ़ तर्क हो, उसे आधार और केंद्र के रूप में स्थापित किया करो और अन्य तर्कों को उसके अधीन रखो। इसी प्रकार यह भी उपदेश दिया कि:

द'अवत इलाल्लाह में निरंतर संलग्न रहना चाहिए, यही वास्तविक परिणाम है। हमारा कार्य प्रचार करना है; परिणाम निकालना और प्रभाव उत्पन्न करना खुदा तआला का कार्य है।

एक उपदेश यह भी दिया: दृढ़ता के साथ प्रचार करो, थकना नहीं। ऐसा न हो कि एक दिन हमने शिविर या स्टॉल लगा लिया, प्रचार कर लिया और उसके बाद कार्य समाप्त हो गया।

इसी प्रकार फ़रमाया: उपयुक्त शैली में बात करनी चाहिए। जैसे औषधियों में कोई दवा किसी के लिए लाभकारी होती है और कोई किसी रोग के लिए, वैसे ही प्रत्येक बात एक विशेष शैली में किसी विशेष व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकती है; यह नहीं कि सब से एक समान बात की जाए।

हुज़ूर ने फ़रमाया: आज खुदा तआला की ओर बुलाना ही युद्ध है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अब तुम्हारा युद्ध लेखनी के माध्यम से युद्ध है; तुम्हारी लेखनी की नोकें ही तलवार की नोकें हैं, अतः इसके द्वारा संघर्ष करो।

हुज़ूर अनवर ने मुर्ब्बियान को संबोधित करते हुए फ़रमाया: मुर्ब्बियान से मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें केवल जमाअत का प्रशिक्षण ही नहीं करना, बल्कि इस प्रशिक्षण के साथ-साथ लोगों को खुदा तआला से संबंध में जोड़ना है। जहाँ वे यह करेंगे, वहाँ उनका ज्ञान भी बढ़ाएँ और उन्हें इस संघर्ष के लिए तैयार भी करें। जब वे ऐसा करेंगे, तभी अपने वचन को पूरा करने वाले होंगे।

हुज़ूर अनवर ने मुर्ब्बियान को द'अवत इलाल्लाह के गुण सिखाते हुए फ़रमाया:

पहली बात यह है कि एक मुर्ब्बी के भीतर आत्म-शुद्धि होनी चाहिए।

उसे तहज्जुद की आदत होनी चाहिए और फिर जमाअत को भी उपासना की ओर ध्यान दिलाए।

क़ुरआन-ए-करीम का अध्ययन स्वयं भी गहराई से करे और जमाअत के लोगों को भी अध्ययन की ओर ध्यान दिलाए।

खुदा तआला-स्मरण की ओर स्वयं भी ध्यान दे और जमाअत के लोगों को भी ध्यान दिलाए। व्यक्तिगत पुस्तकालय भी एक बहुत आवश्यक वस्तु है। आजकल पुस्तकों का प्रचलन कम है, लेकिन alislam वेबसाइट पर बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस ओर ध्यान दें और अध्ययन के लिए समय निर्धारित करें। खुदा तआला पर भरोसा करने की आदत डालें। लोगों से संबंध उत्तम बनाएँ। फ़रमाया कि हमारी जनसंपर्क व्यवस्था भी कमज़ोर होती है; इसके कारण प्रचार का क्षेत्र सीमित हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो संबंध बढ़ाने की ओर ध्यान देते हैं।

बुराई का साहसपूर्वक खंडन करने का हौसला उत्पन्न करें।

दृढ़ता की आदत डालें।

विचार और मनन की आदत डालें। खुदा तआला से संबंध स्थापित करें।

फ़रमाया: "यदि यह होगा तो फिर एक महान क्रांति है जो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तभी हम आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ध्वज को संसार में फहराने के योग्य हो सकेंगे, और तभी हम मुसलमानों को भी आने वाले मसीह मौऊद और महदी मौऊद की वास्तविकता से परिचित करा सकेंगे और उन्हें उसकी बैअत में आने का आमंत्रण दे सकेंगे। अल्लाह तआला हम सबको खुदा तआला की ओर बुलाने के संबंध में हुज़ूर अनवर की इन शिक्षाओं पर आचरण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।"

★ ★ ★

## ख़ुत्बः जुमअः

वह मनुष्य जिसने अपने अस्तित्व से, अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपने आचरण से तथा अपनी आध्यात्मिक और पवित्र शक्तियों की प्रबल धारा से पूर्णता का आदर्श ज्ञान में भी, आचरण में भी, सत्यनिष्ठा में भी और दृढ़ता में भी प्रदर्शित किया और 'पूर्ण मनुष्य' कहलाया... वह शुभ नबी हज़रत ख़ातमुल अंबिया, इमामुल अस्फ़िया, ख़तमुल मुरसलीन, फ़ख़्रुन्नबिय्यीन, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं। हे प्यारे खुदा ! इस प्रिय नबी पर वह करुणा और दरूद भेज जो तूने सृष्टि के आरम्भ से किसी पर न भेजी हो।

(हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम)

आदर्श तो वही बनते हैं जो किसी वस्तु के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हों। जहाँ तक आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का संबंध है, चाहे यहाँ खुदा तआला के अधिकारों का प्रश्न हो अथवा उसके बंदों के अधिकारों का, आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम इन दोनों में वह उच्चतम स्तर रखते थे जिसकी साक्षी स्वयं खुदा तआला ने दी। इसी कारण खुदा तआला ने हमें आदेश दिया कि यह रसूल तुम्हारे लिए आदर्श है। केवल उनकी बातें ही न सुनो, बल्कि उन पर आचरण भी करो। केवल विश्वास ले आना पर्याप्त नहीं है। और जब तुम आचरण करोगे, तब निश्चय ही तुम उस स्तर को प्राप्त कर सकोगे जिसके लिए मैंने यह रसूल भेजा है।

यह खुदा तआला ने स्वयं कहा है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हमारे लिए उत्तम आदर्श हैं। अतः हमें आपके जीवन को अपने लिए ऐसा स्थान देना चाहिए कि हम आपकी प्रत्येक बात पर आचरण करें, और आपकी प्रत्येक बात क़ुरआन-ए-करीम के आदेशों पर आधारित है, जो खुदा तआला की ओर से हैं। अतः प्रत्येक नैतिक गुण जो किसी मनुष्य में हो सकता है या होना चाहिए, अथवा जो खुदा तआला के गुण हैं, उनका वास्तविक और पूर्ण आदर्श हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ही हैं।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम खुदा तआला का जो अधिकार था, अर्थात उपासना का अधिकार, उसे कभी नहीं भूले। यह अत्यंत महान और महत्वपूर्ण बात है। इस अवधि में आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। युद्धों के लिए भी जाना पड़ा। शत्रुओं ने आक्रमण भी किए, परन्तु खुदा तआला की उपासना का अधिकार अदा करने में आपने कभी कमी नहीं की।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहा कि श्रेष्ठ आचरण का अर्थ है प्राकृतिक शक्तियों का उचित उपयोग। और प्राकृतिक शक्तियों को समाप्त कर देना मूर्खता है। उन्हें अनुचित कार्यों में लगा देना दुराचार है, और उनका वास्तविक तथा उचित उपयोग ही सदाचार है। यह आपकी शिक्षा का सार है, और यही सार आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के अपने जीवन का भी है। यही कारण है कि खुदा तआला ने हमें आदेश दिया है कि तुम इन्हें आदर्श के रूप में अपनाओ।

रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि आपके सामने दो मार्ग खुले हों और आपने उनमें से सरल मार्ग को ग्रहण न किया हो बशर्ते कि उस सरल मार्ग को अपनाने में किसी प्रकार के पाप का संदेह न हो।

जब आपको खुदा तआला ने राज्यसत्ता प्रदान कर दी, तब भी आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनते थे। यदि कोई कठोर व्यवहार भी करता, तो आप मौन हो जाते और कभी कठोरता करने वाले को कठोरता से उत्तर नहीं देते थे।

धैर्य की यह अवस्था थी कि कभी-कभी आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम किसी कार्य से बाहर निकलते, तो कुछ लोग आपका मार्ग रोककर खड़े हो जाते और अपनी आवश्यकताएँ बतानी आरम्भ कर देते। उस समय तक आप खड़े रहते जब तक वे अपनी बात पूरी न कर लेते। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आगे बढ़ जाते।

उपासना और श्रेष्ठ आचरण के परिप्रेक्ष्य में सीरत-ए-नबवी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का पवित्र और मनोहर वर्णन।

श्रीमान लईक अहमद ताहिर साहिब (मुरब्बी सिलसिला यूके) तथा श्रीमान सीगा जालो साहिब (नायब सदर रीजन सीगो, माली) का पुण्य-स्मरण तथा उनकी नमाज़ जनाज़ा हाज़िर व ग़ायब का उल्लेख।

### ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मौ'मेनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّا كَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا (الاحزاب:22)

खुदा तआला सर्वशक्तिमान् कहता है इस आयत का अर्थ यह है कि निश्चय ही तुम्हारे लिए खुदा तआला के रसूल में एक उत्तम आदर्श है, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो खुदा तआला और परलोक-दिवस की आशा रखता है तथा प्रचुरता से खुदा तआला का स्मरण करता है।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के उच्च आचरण और आपके आदर्श के विषय में कुछ बताइए। इस पर हज़रत आयशा ने उत्तर दिया क्या तुमने पवित्र कुरआन का पाठ नहीं किया? उसमें तो स्वयं खुदा तआला ने आपके आदर्श के विषय में साक्ष्य दे दिया है। जैसा कि खुदा तआला कहता है: "व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम" (अल-क़लम: 5) अर्थात् हे रसूल! तू निश्चय ही नैतिक उत्कृष्टता की सर्वोच्च अवस्था पर स्थित है।

(मुस्नद अहमद बिन हम्बल, जिल्द 8, पृष्ठ 144–145, मुस्नद आयशा; आलमुल कुतुब, बेरूत)

अतः आदर्श वही बनते हैं जो किसी गुण की सर्वोच्च स्थिति पर आसीन हों। जहाँ तक पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का संबंध है, चाहे यहाँ खुदा तआला के अधिकारों का प्रश्न हो अथवा मनुष्यों के अधिकारों का आप इन दोनों में उस उच्चतम स्तर पर प्रतिष्ठित थे जिसकी साक्षी स्वयं खुदा तआला ने दी है। इसी कारण खुदा तआला ने हमें आदेश दिया कि यह रसूल तुम्हारे लिए आदर्श है। केवल उनकी बातें सुनो ही नहीं, बल्कि उन पर आचरण भी करो। केवल विश्वास ले आना पर्याप्त नहीं है। और जब तुम आचरण करोगे, तब निश्चय ही उस पद को प्राप्त कर सकोगे जिसके लिए मैंने यह रसूल भेजा है।

अतः यह प्रत्येक मुसलमान, प्रत्येक मोमिन की जिम्मेदारी है। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ थोड़े से उत्तम कार्य कर लेते हैं अथवा कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिल जाती है और उनके नाम उज्ज्वल हो जाते हैं। उन्हें बड़े पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं। किसी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, किसी को अन्य सम्मान मिल रहा है; किन्तु ये पुरस्कार किसी समिति अथवा शासन की ओर से होते हैं जो उस कार्य के लिए नियुक्त होती है। किन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी जाति ने किसी व्यक्ति को

सर्वसम्मति से किसी गुण के कारण सम्मानित किया हो।

वास्तविक सम्मान तो वह है जैसा कि पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को पैग़म्बरी से पूर्व ही युवावस्था में लोगों ने "सादिक़" (सत्यनिष्ठ) और "अमीन" (विश्वसनीय) कहकर दिया था।

(अस्सीरतुन नबविय्या लिब्ने हिशाम, पृष्ठ 155; सहीह अल-बुख़ारी, किताबुत-तफ़सीर, हदीस 4972)

अर्थात् आपको किसी पुरस्कार की आवश्यकता तो नहीं थी, किन्तु लोगों की दृष्टि में आप उस स्तर पर पहुँच चुके थे जिसका कोई समकक्ष नहीं था, और पूरी जाति ने आपको यह उपाधि प्रदान की थी। यही वह उच्च पद है जो पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का है। और आपने स्वयं भी कहा है कि तुम लोग मेरी सुन्नत का अनुसरण करो, मेरे कर्मों पर चलो।

(सुनन अबी दाऊद, किताबुस्सुन्नह, हदीस 4607)

क्योंकि ख़ुदा तआला ने मुझे तुम्हारे सुधार के लिए भेजा है। पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे उत्तम नैतिक गुणों की परिपूर्णता के लिए भेजा गया है।

(अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी, जिल्द 10, पृष्ठ 318, हदीस 21379)

अतः नैतिक पूर्णता वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो समस्त गुणों का धारक हो और जिसमें सभी सद्गुण विद्यमान हों। जैसा कि मैंने कहा, स्वयं ख़ुदा तआला ने कहा है कि आप हमारे लिए उत्तम आदर्श हैं। इसलिए हमें आपके जीवन को अपने लिए इस स्तर पर रखना चाहिए कि हम आपकी प्रत्येक बात पर आचरण करें, और आपकी प्रत्येक बात पवित्र क़ुरआन के आदेशों पर आधारित है, ख़ुदा तआला की ओर से है। अतः प्रत्येक वह नैतिक विशेषता जो किसी मनुष्य में हो सकती है या होनी चाहिए, अथवा जो ख़ुदा तआला के गुण हैं उनका वास्तविक आदर्श पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ही हैं।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तफ़सीरुल क़ुरआन की भूमिका में आपके आचरण और आपके जीवन-चरित्र के विषय में कुछ बातें प्रस्तुत की हैं, और हमारी सीरत की पुस्तकों में भी वे विद्यमान हैं। उनमें से कुछ आज संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ; आगे अवसर मिलने पर उनका विस्तार भी बताता रहूँगा।

पहला विषय ख़ुदा तआला का अधिकार है, अर्थात् ख़ुदा तआला की उपासना का अधिकार। इसमें हमें पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का कौन सा आदर्श दिखाई देता है? हम देखते हैं कि रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का सम्पूर्ण जीवन ख़ुदा तआला-प्रेम में डूबा हुआ था, जबकि आप पर अत्यन्त बड़ी जिम्मेदारियाँ थीं। एक नई व्यवस्था को प्रवर्तित करना था और लोगों का प्रशिक्षण करना था, जैसा कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अज्ञानियों को मनुष्य बनाया, शिक्षित मनुष्य बनाया, ख़ुदा तआलानिष्ठ मनुष्य बनाया।

(उद्धृत लेक्चर सियालकोट, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 20, पृष्ठ 206)

यह अत्यन्त महान कार्य था, किन्तु आपने ख़ुदा तआला का जो अधिकार था, अर्थात् उपासना का अधिकार, उसे कभी नहीं भुलाया। यह अत्यन्त महान और महत्वपूर्ण बात है। इस अवधि में आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। युद्धों में भी जाना पड़ा। शत्रुओं ने आक्रमण भी किए, किन्तु ख़ुदा तआला की उपासना का अधिकार अदा करने में आपने कभी कमी नहीं की।

अतः यही वह आदर्श है जो हमारे सामने भी है कि हम प्रत्येक अवस्था में ख़ुदा तआला को सामने रखें। और जब हम ख़ुदा तआला को सामने रखेंगे तो हमारी अनेक समस्याएँ स्वयं हल होती चली जाएँगी। लोग पूछते हैं कि हमारे ये प्रश्न हैं, वे प्रश्न हैं। कहते हैं कि हमने इस प्रकार प्रार्थना की, उस प्रकार प्रार्थना की, अपने प्रश्नों के लिए प्रार्थना करते हैं; किन्तु हम ख़ुदा तआला का अधिकार अदा नहीं करते, इसलिए मनुष्य वंचित रह जाता है। ख़ुदा तआला कहता है मेरा भी तो अधिकार अदा करो।

आपकी उपासना के स्तर क्या थे?

पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आधी रात बीतने पर ख़ुदा तआला की उपासना के लिए खड़े हो जाते थे, और इसकी साक्षी स्वयं ख़ुदा तआला ने भी दी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वर्णन करती हैं कि एक अवसर पर जब आप उपासना के लिए खड़े थे, मैंने कहा हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! आप तो पहले ही ख़ुदा तआला के अत्यन्त निकट हैं, फिर आप अपने आपको इतनी कठिनाई में क्यों डालते हैं कि रात का अधिकांश भाग उपासना में व्यतीत करते हैं, ख़ुदा तआला के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते रहते हैं?

तो आपने उत्तर दिया:

"अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा" क्या मैं शुकर करने वाला बंदा न बनूँ?

(उद्धृत दीबाचा तफ़सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 382)

यह सत्य वचन है कि मैं ख़ुदा तआला का निकटवर्ती हूँ और ख़ुदा तआला ने अपने अनुग्रह से मुझे यह निकटता प्रदान की है। तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं कि जहाँ तक संभव हो मैं उसका कृतज्ञता-प्रदर्शन करूँ? क्योंकि कृतज्ञता तो उपकार के प्रत्युत्तर में ही हुआ करती है।

देखो, ख़ुदा तआला ने आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर जो अनुग्रह किया आपको अंतिम विधि-विधान वाले नबी बनाया, आप पर अंतिम पुस्तक पूर्ण की, धर्म-विधि को परिपूर्ण किया तो क्या इस पर आप कृतज्ञता प्रकट न करते? और अपनी-अपनी अवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर भी ख़ुदा तआला ने अनेकों अनुग्रह किए हुए हैं। इन उपकारों का यह अधिकार बनता है कि हम अपनी उपासना के स्तर को ऊँचा करें। लोग प्रश्न कर बैठते हैं युवक भी आते हैं और पूछते हैं कि हम ख़ुदा तआला की उपासना किस प्रकार करें? ख़ुदा तआला को हमारी उपासना की क्या आवश्यकता है? आज की भौतिकता से प्रभावित होकर बालक भी यह प्रश्न करने लगे हैं। इसका उत्तर यही है कि ख़ुदा तआला को तुम्हारी उपासना की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु जो धार्मिक और सांसारिक उपकार ख़ुदा तआला ने तुम पर किए हैं, क्या वे इस बात की माँग नहीं करते कि तुम उसके उपकारों का धन्यवाद करो और कृतज्ञ दास बनो?

इसी प्रकार आपके जीवन-वृत्त में यह घटना भी मिलती है कि जब आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ख़ुदा तआला का वचन सुनते तो अनायास ही आपकी आँखों से आँसू बह निकलते, विशेषतः वे आयतें जिनमें आपको आपकी उत्तरदायित्वों की ओर ध्यान दिलाया गया है।

एक वर्णन में आता है कि एक दिन रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुझे पवित्र क़ुरआन पढ़कर सुनाओ। उन्होंने निवेदन किया हे रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! पवित्र क़ुरआन तो आप पर अवतरित हुआ है, मैं आपको क्या सुनाऊँ? आपने कहा मैं यह पसंद करता हूँ कि दूसरों से भी क़ुरआन सुनूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तब मैंने सूरह निसा का पाठ आरम्भ किया। जब मैं पढ़ते-पढ़ते इस आयत पर पहुँचा

"फकैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिं बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउला'इ शहीदा" (अन-निसा: 42)

अर्थात उस समय क्या दशा होगी जब हम प्रत्येक समुदाय में से उसके नबी को उस समुदाय के सामने खड़ा करेंगे और तुझे भी तेरी जाति के सामने गवाह बनाकर खड़ा करेंगे तो रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहा बस करो, बस करो। सहाबी कहते हैं, मैंने आपकी ओर देखा तो आपकी दोनों आँखों से निरन्तर आँसू बह रहे थे। आप पर ऐसी ख़ुदा तआला-भक्ति की अवस्था छा गई थी। उस समय निश्चय ही आपको अपनी जाति की भी चिन्ता रही होगी कि कहीं मेरी जाति कोई ऐसा कर्म न कर बैठे जो ख़ुदा तआला की अप्रसन्नता का कारण बने और फिर मुझे उनके विरुद्ध साक्ष्य देना पड़े।

इससे एक पक्ष यह भी निकलता है कि जहाँ आपकी गवाही के अनेक आयाम हैं, वहीं हमें भयभीत रहना चाहिए कि कहीं आपकी गवाही हमारे विरुद्ध न हो जाए। कहीं हमारी वास्तविक दशा प्रकट न हो जाए जो हमारे पापों को उजागर कर दे और हम ख़ुदा तआला की दण्ड के अधिकारी बन जाएँ। अतः यह अत्यन्त भय का स्थान है। हमें भी इन उपासनाओं का अधिकार अदा करना चाहिए और ख़ुदा तआला से वह प्रेम करना चाहिए जिसकी शिक्षा पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने दी और जिसका आदेश ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुरआन में दिया है।

नमाज़ की नियमितता देख लो। आपको इसका इतना ध्यान था कि अंतिम दिनों में कठोर रोगावस्था में भी, जबकि लेटकर नमाज़ पढ़ लेने की अनुमति होती है, इतिहास में आता है कि आप लोगों का सहारा लेकर मस्जिद की ओर गए। एक दिन आप न जा सके तो आपने हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का आदेश दिया। फिर जब आपने अनुभव किया कि प्रकृति में कुछ सुधार है तो तत्काल दो व्यक्तियों का सहारा लेकर मस्जिद की ओर चल पड़े। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि उस अवस्था में भी आपके दोनों चरण भूमि पर घिसट रहे थे।

(उद्धृत दीबाचा तफ़सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, भाग 20, पृष्ठ 383)

किन्तु सामूहिक नमाज़ का महत्व आपके समक्ष था। आप समुदाय को दिखाना चाहते थे, इसलिए आपने वह कष्ट सहन किया। अपने रोग की परवाह न की। यही आपकी ख़ुदा तआला-प्रेम की दशा थी। और इसी संदर्भ में आप लोगों का प्रशिक्षण भी किस प्रकार करते थे एक तो नमाज़ की नियमितता की ओर ध्यान दिलाया, फिर यह कि ख़ुदा तआला की महिमा और उसका पद लोगों को किस प्रकार समझाना है।

अरबों में प्रचलन था कि ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई जाती थी। यह

प्रथा उस समय सामान्य थी, किन्तु आपने इसे समाप्त कर कहा कि इसके स्थान पर ख़ुदा तआला-स्मरण होना चाहिए।

लिखा है कि एक बार रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम किसी कार्य में व्यस्त थे। नमाज़ का समय हो गया। आपने कहा कि अबूबक्र को कहो कि नमाज़ पढ़ा दें। इतने में आप वहाँ से मुक्त हुए और तुरंत मस्जिद की ओर चले। जब आप मस्जिद पहुँचे तो हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब लोगों को ज्ञात हुआ कि आप मस्जिद में आ गए हैं तो नमाज़ियों ने उत्कण्ठा में ताली बजानी शुरू कर दी। एक ओर तो वे यह प्रकट करना चाहते थे कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के आगमन से उनके हृदय अत्यन्त प्रसन्न हो गए हैं, दूसरी ओर हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु को संकेत करना चाहते थे कि अब आपकी इमामत समाप्त हुई, क्योंकि रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पधार चुके हैं। हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हट गए और आपने इमाम का स्थान ग्रहण किया।

नमाज़ के पश्चात आपने कहा अबूबक्र! जब मैंने तुम्हें नमाज़ पढ़ाने का आदेश दिया था तो तुम पीछे क्यों हट गए? हज़रत अबूबक्र ने निवेदन किया हे रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! ख़ुदा तआला के रसूल की उपस्थिति में अबू क़हाफ़ा के पुत्र की क्या स्थिति थी कि वह नमाज़ पढ़ाए?

फिर आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ओर ध्यान कर कहा तुम्हारा ताली बजाने से क्या प्रयोजन था? ख़ुदा तआला के स्मरण में ताली बजाना उचित नहीं। ज्ञात होना चाहिए कि जब नमाज़ के समय कोई ऐसी बात हो जिस ओर ध्यान दिलाना आवश्यक हो, तो ताली बजाने के स्थान पर ऊँचे स्वर से ख़ुदा तआला का नाम लो "सुब्हानल्लाह" कहना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अन्य लोगों का ध्यान उस बात की ओर आकर्षित हो जाएगा।

इसी प्रकार आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आडम्बरपूर्ण उपासना भी पसंद नहीं करते थे।

इतनी अधिक उपासनाओं की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम कहा करते थे कि आडम्बर नहीं होना चाहिए। एक बार आप घर में गए तो देखा कि दो स्तम्भों के बीच एक रस्सी बँधी हुई है। आपने पूछा यह रस्सी क्यों बाँधी गई है? लोगों ने बताया यह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की रस्सी है। जब वे उपासना करते-करते थक जाती हैं तो इसे पकड़कर सहारा ले लेती हैं। इस पर रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, यह रस्सी खोल दो। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उतनी देर उपासना करे जब तक उसके मन में प्रसन्नता बनी रहे। जब वह थक जाए तो बैठ जाए। इस प्रकार की बनावटी और कष्ट देकर की जाने वाली उपासना कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती।

(दीबाचा तफ़्सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 384 से)

इससे एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि आपके प्रशिक्षण के प्रभाव से सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, आपके परिवारजन और घर के लोग भी उपासना का गहरा उत्साह रखते थे और अपने आपको कष्ट में डाल लेते थे। दूसरी ओर आपने यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्वयं को कष्ट में डालने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सहज भाव से उपासना करो। किन्तु आज के लोगों के लिए यह भी स्पष्ट कर दूँ कि इसका यह अर्थ नहीं है जैसा कि कुछ लोग आजकल कहने लगे हैं कि कष्ट की आवश्यकता नहीं, इसलिए शीघ्रता से नमाज़ पढ़ो, केवल अनिवार्य भाग पूरा करके छुट्टी पा लो। इस उपदेश का अर्थ उलटा नहीं लिया जाना चाहिए कि अपनी सुविधा के लिए उपासना को हल्का कर दो।

आजकल कुछ लोग उपासना के लिए आते हैं और कुछ ही मिनटों में नमाज़ समाप्त कर लेते हैं। घरों में भी लोग दो-तीन मिनट में नमाज़ पूरी कर लेते हैं। कई बार मुझसे भी पूछा जाता है कि नमाज़ किस प्रकार पढ़नी चाहिए। तो नमाज़ उसी प्रकार पढ़नी चाहिए कि उसे सँवार कर, ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए।

इस विषय में पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की एक हदीस है। आपने एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को तीन-चार बार नमाज़ दोहराने का आदेश दिया। वह आपकी सभा में आया था। आप नमाज़ पढ़कर बैठे थे। सामूहिक नमाज़ हो चुकी थी और सभा चल रही थी। वह सहाबी नमाज़ पढ़कर आपके पास आता तो आप कहते जाओ, फिर से नमाज़ पढ़ो। वह फिर पढ़कर आता, तो आप फिर कहते जाओ, दोबारा पढ़ो। इस प्रकार तीन-चार बार आपने उसे नमाज़ पढ़ने को कहा। अंत में उसने निवेदन किया मुझे इससे बेहतर नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं आता, कृपया बताइए। तब आपने कहा नमाज़ शान्ति और ठहराव से पढ़ो। ख़ुदा तआला का स्मरण करो। दरूद पढ़ो। एकेश्वरवाद और स्तुति का उल्लेख हो। रुकू और सज्दा भी ठीक प्रकार से किए जाएँ।

(सहीह अल-बुख़ारी, किताबुल अज़ान, हदीस 793)

अतः इसे याद रखो। "सहजता से नमाज़ पढ़ो" का अर्थ यह नहीं कि शीघ्रता से निपटा लो। यह नहीं कि नींद आ रही थी, तो दो मिनट में नमाज़ पूरी कर ली। मदहोशी या ऊँघ की दशा में नमाज़ पढ़ना तो वैसे ही निषिद्ध है। जब नमाज़ पढ़नी है तो उसका अधिकार भी अदा करना है। यही उपदेश दिया गया है।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को बहुदेववाद से इतनी घृणा थी कि अंतिम समय की पीड़ा में भी आप कभी दाईं करवट लेटते, कभी बाईं, और कहते जाते ख़ुदा तआला यहूदियों और ईसाइयों पर धिक्कार करे, जिन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को उपासना-स्थल बना लिया।

(दीबाचा तफ़्सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 385 से)

अर्थात वे अपने नबियों की क़ब्रों पर सज्दा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। आपका अभिप्राय यह था कि यदि मेरी जाति मेरे बाद ऐसा करेगी, तो यह न समझे कि वह मेरी प्रार्थनाओं की अधिकारी होगी; बल्कि मैं उससे पूर्णतः विरक्त हो जाऊँगा। जैसा पहले उल्लेख हो चुका है, ख़ुदा तआला गवाही माँगेगा।

आज देख लो मदीना में आपके पवित्र मज़ार पर शासन ने इसी कारण कठोर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। किसी को सज्दा करने नहीं देते, निकट भी नहीं जाने देते। किन्तु अनेक देशों में पीरों और फकीरों के मज़ारों पर सज्दे किए जाते हैं और बुज़ुर्गों से मन्नतें माँगी जाती हैं। यह तरीका बहुदेववाद है। जिस बात से पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने स्वयं के लिए भी रोका, तो किसी और व्यक्ति की क़ब्र पर सज्दा करने का क्या अधिकार बनता है? ख़ुदा तआला का अनुग्रह है कि हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानकर इन बातों से अपने आपको बचा लिया है, किन्तु उपासनाओं के स्तर तो हमें हर हाल में ऊँचे करने हैं। अन्य मुसलमानों में यह प्रचलन बहुत है। ख़ुदा तआला उन पर भी दया करे और उन्हें समझ दे कि वे इस बहुदेववाद से रुक जाएँ।

ख़ुदा तआला के समक्ष आपकी विनम्रता की पराकाष्ठा यह थी कि जब लोगों ने कहा हे रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! आप तो अपने कर्मों के बल से ख़ुदा तआला का अनुग्रह पा लेंगे, क्योंकि ख़ुदा तआला ने आपको प्रमाण दे दिया है, आपके आचरण की प्रशंसा की है और आपके आदर्श को मुसलमानों के लिए आचरण का मानदंड ठहराया है तो आपने कहा नहीं, नहीं! मैं भी केवल ख़ुदा तआला के अनुग्रह से ही क्षमा किया जाऊँगा।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि मैंने एक दिन रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को कहते सुना कोई व्यक्ति केवल अपने कर्मों के कारण स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने निवेदन किया हे रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! क्या आप भी अपने कर्मों से स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे? आपने कहा मैं भी अपने कर्मों के बल से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता; हाँ, यदि ख़ुदा तआला का अनुग्रह और उसकी दया मुझे ढाँक ले, तो वही एक मार्ग है।

(दीबाचा तफ़्सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 386–387)

(सहीह अल-बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, हदीस 5673)

यह बुख़ारी की एक रिवायत है।

फिर आपने उपदेश देते हुए कहा कि अपने कार्यों में भलाई अपनाओ और ख़ुदा तआला की निकटता के मार्ग खोजो। और आपने कहा

तुम में से कोई भी अपनी मृत्यु की कामना न करे। यदि वह सदाचारी है तो जीवित रहकर अपनी भलाई में और वृद्धि करेगा, और यदि वह दुष्कर्मी है तो जीवित रहकर उसे अपने पापों से पश्चात्ताप करने की सामर्थ्य मिलेगी, उसके भीतर चेतना जागेगी।

(सहीह अल-बुख़ारी, किताबुत-तमन्नी, हदीस 7235)

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपदेश है जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए कि कभी मृत्यु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसका कारण आपने यह बताया कि मनुष्य किसी कष्ट के कारण ही मृत्यु की कामना करता है। यदि तुममें कुछ सद्गुण हैं तो ख़ुदा तआला तुम्हें और सद्कर्मों की सामर्थ्य देगा और तुम्हारे लिए परलोक में उत्तम व्यवस्था होगी, तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। और यदि दुष्कर्म हैं तो तुम्हें पश्चात्ताप और क्षमा-याचना की सामर्थ्य प्राप्त होगी। यदि इस ओर ध्यान उत्पन्न हो गया तो दुष्कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और फिर ख़ुदा तआला की निकटता प्राप्त करोगे। और जब समय आएगा तो ख़ुदा तआला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि तुम्हारी क्षमा के साधन भी बनेंगे और बनेंगे ही।

आपकी अपनी उपासना का स्तर तो हमने देख लिया। आप दूसरों को भी ध्यान दिलाया करते थे।

वर्णन में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम रात्रि के समय अपने दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अपनी पुत्री हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए और उनसे पूछा क्या तुम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने निवेदन किया हे रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! पढ़ने का

प्रयत्न तो करते हैं, किन्तु कभी ख़ुदा तआला की इच्छा से आँख नहीं खुलती, तो तहज्जुद छूट जाती है। आपने कहा तहज्जुद पढ़ा करो, और उठकर अपने घर की ओर चल पड़े। मार्ग में आप बार-बार यह कहते जाते थे

"वकानल इंसानु अकसर शैइं जदला"

अर्थात मनुष्य प्रायः अपनी भूल स्वीकार करने से कतराता है और विभिन्न प्रकार के तर्क देकर अपने दोष पर परदा डालता है।

अतः आपने वहाँ उनके सामने भी कहा, उन्हें समझाया, और लौटते समय भी इस वचन को दोहराते रहे ताकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के माध्यम से अन्य लोग भी यह बात जान लें। आपने उन्हें यह शिक्षा दी कि यह कहने के स्थान पर कि कभी हमसे भूल हो जाती है, उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए था कि हम उठ नहीं सके। उन्होंने बात को ख़ुदा तआला की इच्छा पर डाल दिया कि यदि ख़ुदा तआला चाहता तो हम जाग जाते, अन्यथा सोए रहे। आपका आशय यह था कि अपनी त्रुटि को ख़ुदा तआला की ओर क्यों आरोपित किया जाए? जैसा पहले भी बताया गया है, आपको उपासना में किसी प्रकार का दिखावा या बनावट पसंद नहीं थी। जैसे आपने एक बार अपने घर में लटकी रस्सियाँ देखीं तो उन्हें हटाने का आदेश दिया।

आपका यह सिद्धांत था कि जो शक्तियाँ ख़ुदा तआला ने मनुष्य में उत्पन्न की हैं, उनका उचित उपयोग करना चाहिए, और यही वास्तविक उपासना है।

आँखों के होते हुए उन्हें बंद कर लेना या निकलवा देना उपासना नहीं, बल्कि धृष्टता है। हाँ, उनका दुरुपयोग करना पाप है। आज देख लो दुनिया में अनेक आकर्षण हैं, इच्छाएँ हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। यदि हम उनकी ओर उन्मुख होते हैं, अनुचित कार्यक्रम देखते हैं, या जाल-माध्यम पर अनुपयुक्त वस्तुएँ देखते हैं, तो यह पाप है। आपने कहा इस पाप से बचना ही मूल बात है और यही तुम्हें पुण्य का अधिकारी बनाएगा।

इसी प्रकार कानों को बंद करवा लेना कोई भलाई नहीं है। ख़ुदा तआला ने एक क्षमता दी है, उसे क्यों बंद करते हो? यह भी धृष्टता है। ख़ुदा तआला ने तुम्हें एक वरदान दिया है और तुम उसे नष्ट कर रहे हो। हाँ, लोगों की निन्दा, चुगली और परनिन्दा सुनना पाप है। बहुत से लोग निन्दा भी करते हैं, चुगली भी सुनते हैं, लोगों के बारे में बुरी बातें सुनकर आनन्द लेते हैं, उनकी कमज़ोरियों पर हँसते हैं ये सब बुराइयाँ हैं, पाप हैं। इस विषय में आपने कहा कि ऐसी हरकतें न किया करो।

आपने कहा कि उच्च नैतिकता का अर्थ है प्राकृतिक शक्तियों का सही उपयोग। इन शक्तियों को नष्ट कर देना मूर्खता है। उन्हें अनुचित कार्यों में लगाना दुष्कर्म है। और उनका वास्तविक तथा उचित उपयोग ही सदाचार है। यही आपकी शिक्षा का सार है और यही पवित्र नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के जीवन का सार है। और यही कारण है कि ख़ुदा तआला ने हमें आदेश दिया है कि उन्हें आदर्श रूप में अपनाओ।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के आचरण के विषय में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक स्थान पर वर्णन करती हैं कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन में कभी ऐसा अवसर उपस्थित नहीं हुआ कि आपके समक्ष दो मार्ग खुले हों और आपने उन दोनों में से सरल मार्ग ग्रहण न किया हो, बशर्ते उस सरल मार्ग को अपनाने में पाप का तनिक भी संस्पर्श न पाया जाता हो।

अब दो मार्ग होते हैं एक सरल मार्ग और एक कठिन मार्ग। तो आपकी चेष्टा यही होती थी कि जो सरल मार्ग है वही अपनाया जाए, क्योंकि अल्लाह तआला मनुष्य को बिना कारण कठिनाई में नहीं डालना चाहता। परंतु जहाँ यह संदेह उत्पन्न हो जाता कि उस सरल मार्ग पर चलने से कुछ पाप भी घटित हो सकते हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम उससे दूर हट जाते थे और दीर्घ मार्ग स्वीकार करते थे। बल्कि यह कहना चाहिए कि यदि किंचित् मात्र भी शंका उत्पन्न हो जाती तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम उससे इस प्रकार दूर भागते और इतना अधिक हट जाते कि समस्त मनुष्यों में आपका यह आचरण सर्वाधिक होता था; कोई मनुष्य उस प्रकार दूर हटने का इतना प्रयत्न कर ही नहीं सकता।

अतः संसार में देख लो कि कभी-कभी छल करने के लिए लोग स्वयं को कष्टों में डालकर अपनी बड़ी विशेषताओं का प्रदर्शन करते रहते हैं कि हमने तप किया, यह किया, वह किया। पीर-फ़क़ीर भी ऐसी बातें करते रहते हैं। बड़ी-बड़ी कथाएँ प्रचलित हैं। परंतु आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सरलता का मार्ग खोजा है, क्योंकि जो लोग इस प्रकार संसार को दिखाने के लिए बातें करते हैं, वे केवल अपनी बड़ाई प्रकट करने के लिए या अपनी प्रशंसा करवाने के लिए स्वयं को कष्टों में डालते हैं। वे अल्लाह तआला के लिए ऐसा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह तआला को भी उनके कष्टों से कोई लाभ नहीं है और न ही उन्हें उसका कोई पुण्य प्राप्त होता है। यह तो लोगों को धोखा देने के लिए होता है, और जब मनुष्य छल की भावना से कोई कर्म करता है तो उस दूषित अभिप्राय के कारण अल्लाह तआला उसे पुण्य नहीं देता, बल्कि पाप का दण्ड देता है।

कुछ लोग अपने दोषों को छिपाने के लिए बड़े प्रदर्शन करते हैं कि हमने यह किया, वह किया। किसी न किसी प्रकार आवरण डालने का प्रयास करते हैं और अपनी प्रशंसा करते रहते हैं कि हमने अत्यंत उत्कृष्ट कार्य कर दिया और इस कारण हमें बड़ी कठिनाई में डाला गया। वे इसका बड़ा प्रदर्शन करते हैं, किंतु अल्लाह तआला कहता है कि नहीं! ये सद्कर्म तुम्हें अल्लाह तआला का समीपत्व प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह तआला की अप्रसन्नता का कारण बनेंगे, क्योंकि तुम्हारी नीयत शुद्ध नहीं है। तुम स्वयं को बचाने के लिए कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हो कि शायद हम लोगों को दिखाएँगे तो लोग हमारे पक्ष में हो जाएँगे।

अतः ये छोटे-छोटे पाठ आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हमें अपने आचरण द्वारा भी दिए हैं और उपदेश देकर भी बताए हैं। समस्त मानवजाति से व्यवहार का जहाँ तक संबंध है, उसमें आप अपने गृह से आरंभ करते हैं। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का अपनी पत्नियों के प्रति कैसा व्यवहार हुआ करता था? अत्यंत स्नेहमय और न्यायपूर्ण व्यवहार होता था। यदि आज के लोग भी इसे समझ लें तो घरों के बहुत से कलह और उपद्रव समाप्त हो जाएँ। कभी-कभी आपकी पत्नियाँ आपसे कठोरता भी कर लेती थीं, अर्थात् कठोर वचन कहती थीं, अप्रसन्नता से बात करती थीं, किंतु आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मौन रहकर मुस्कराकर टाल देते थे।

एक दिन आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, "ऐ आयशा! जब तुम मुझसे अप्रसन्न होती हो तो मुझे ज्ञात हो जाता है कि तुम मुझसे अप्रसन्न हो।" हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, "आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को किस प्रकार ज्ञात हो जाता है?" आपने फ़रमाया, "जब तुम मुझसे प्रसन्न होती हो और शपथ का प्रसंग आ जाए तो सदैव कहती हो 'मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के रब की शपथ!' बात इस प्रकार है। और जब तुम मुझसे अप्रसन्न होती हो और तुम्हें शपथ की आवश्यकता पड़ जाए तो कहती हो 'इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की शपथ!' बात इस प्रकार है।" यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हँस पड़ीं और आपकी बात की पुष्टि करते हुए कहा कि आपने ठीक समझा है।

फिर हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की घटनाएँ हैं, जो आपकी प्रथम और सर्वाधिक सम्मानित पत्नी थीं और जिन्होंने आपके लिए महान त्याग किए थे। उनके देहावसान के पश्चात् आपकी विवाह में युवतियाँ आईं, किंतु इसके बावजूद आपने हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के संबंध को नहीं भुलाया। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखियाँ भी जब आतीं तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते।

यदि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा द्वारा निर्मित कोई वस्तु आपके सामने आ जाती तो आपकी आँखों में आँसू आ जाते।

जंग-ए-बद्र की घटना है। आपके एक जामाता, जो उस समय तक मुसलमान नहीं हुए थे, बंदी बनाकर लाए गए। मुक्ति-धन देने के लिए उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। उनकी पत्नी, अर्थात् रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पुत्री ने जब देखा कि मेरे पति को छुड़ाने के लिए अन्य कोई धन नहीं है, तो अपनी माता की अंतिम स्मृति एक हार जो उनके पास था, उसे अपने पति के मुक्तिप्रायश्चित के रूप में मदीना भेज दिया। जब वह हार रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो आपने उसे पहचान लिया और आपकी आँखों में आँसू आ गए। आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, "मैं तुम्हें आदेश तो नहीं देता, क्योंकि मुझे ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं; परंतु मैं जानता हूँ कि यह हार ज़ैनब के पास उसकी माता की अंतिम स्मृति है। यदि तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक ऐसा कर सको तो मैं निवेदन करता हूँ कि पुत्री को उसकी माता की अंतिम स्मृति से वंचित न किया जाए।" सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, "या रसूलुल्ला

**CHANDIGARH DIAGNOSTIC LABORATORY**
थाने वाला चौक, ठीकरीवाल रोड, नज़दीक केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक क़ादियान
सभी प्रकार के शारीरिक टैस्ट (खून, मल,बलगम इत्यादि) कंप्यूटरराइज्ड तरीके से उपलब्ध हैं।
हमारे सहभागी :- SRL (SUPER RANBAXY LABORATORIES), THYROCARE MUMBAI.

चौधरी खिज़र बाजवा दरवेश क़ादियान, लुकमान अहमद बाजवा
और जानकारी के लिए संपर्क करें :- इमरान अहमद बाजवा, रिज़वान अहमद बाजवा
फ़ोन नंबर :-+91-9646561639,+91-8557901648

सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! हमारे लिए इससे अधिक प्रसन्नता का कारण क्या हो सकता है?" अतः उन्होंने वह हार हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हाको लौटा दिया।

हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो सद्कर्म आपके साथ किए थे, उनका प्रभाव आप पर इतना अधिक था कि आप प्रायः अपनी पत्नियों से उनका उल्लेख करते रहते थे।

इस पर एक घटना आती है कि पत्नियों में आपस में थोड़ा-बहुत मनमुटाव भी हो जाता है। चाहे वह पत्नी देहत्याग भी कर चुकी हो, और उसकी अधिक प्रशंसा की जाए, तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास इस प्रकार आपने एक बार हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की प्रशंसा की तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, "या रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! उस वृद्धा का क्यों उल्लेख करते रहते हैं? अब उसे रहने दें। अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को उससे उत्तम, युवा और सुंदर स्त्रियाँ प्रदान की हैं।" यह सुनकर रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर गहन भावुकता छा गई। आपने फ़माया, "आयशा! तुम्हें ज्ञात नहीं कि ख़दीजा ने मेरी कितनी सेवा की है।"

(उद्धारित दीबाचा तफ़सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 389–393)

अख़लाक़-ए-फ़ाज़िला का आपका मानदण्ड क्या था?

यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के जन्म से पूर्व ही आपके पिता का देहावसान हो गया था और बाल्यावस्था में ही आपकी माता भी संसार से विदा हो गई थीं। प्रारम्भिक आठ वर्ष आपने अपने पितामह की संरक्षण-छाया में व्यतीत किए। इसके पश्चात् आपने अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में पालन-पोषण पाया। चाचा का रक्त-संबंध भी था और उनके पिता ने भी मृत्यु के समय रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के संबंध में विशेष रूप से वसीयत की थी; इसलिए वे आपसे विशेष प्रेम भी रखते थे और आपका ध्यान भी रखते थे। परन्तु चाची में न तो वैसी ममता थी और न पारिवारिक उत्तरदायित्वों का वह बोध। जब घर में कोई वस्तु आती तो अनेक बार चाची उसे अपने बच्चों को पहले दे देतीं और रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का ध्यान न रखतीं, जबकि उस समय आप बालक ही थे।

जब अबू तालिब घर में आते तो इसके स्थान पर कि अपने छोटे भतीजे को रोते हुए या शिकायत करते पाते, वे देखते कि उनके अपने बच्चे तो कुछ खा रहे हैं, पर उनका वह छोटा-सा भतीजा पर्वत-सा धैर्य धारण किए एक ओर बैठा है। अर्थात् रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बाल्यकाल में भी बड़े धैर्य से सब कुछ सहन कर लेते थे। चाचा का स्नेह और पारिवारिक दायित्व उनके सामने आ जाते। वे दौड़कर अपने भतीजे को गोद में उठा लेते और कहते "मेरे बच्चे का भी ध्यान करो, मेरे बच्चे का भी ध्यान करो।" ऐसा प्रायः होता रहता था।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक स्थान पर यह वर्णन लेकर लिखा है कि देखने वाले बताते हैं रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने न कभी शिकायत की, न आपके मुखमंडल पर कभी विषाद प्रकट हुआ, न इस कारण कभी चिड़चिड़ापन उत्पन्न हुआ और न ही अपने चचेरे भाइयों से कोई द्वेषभाव पैदा हुआ। अतः आपका जीवन बताता है कि बाद के परिवर्तित परिस्थितियों में भी आपने हज़रत अलीर ज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने संरक्षण में ले लिया और हर प्रकार से उनके कल्याण के उपाय किए।

(उद्धृत: दीबाचा तफ़सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 393)

आजकल देख लो लोग बड़े हो जाने पर भी बचपन की छोटी-छोटी बातों को याद रखते हैं और प्रतिशोध लेते रहते हैं; परंतु आपने सद्व्यवहार ही किया। बल्कि बड़े होकर, समझ-बूझ की अवस्था को पहुँचकर भी आज हम देखते हैं कि यदि किसी को अपने अन्य संबंधियों के पास रहना पड़ जाए कभी पिता न होने के कारण चौदह-पंद्रह वर्ष की आयु में, या किसी अन्य विवशता से और वहाँ उन संबंधियों से कोई अति हो जाए, तो वे बातों को नहीं भूलते और अवसर मिलते ही प्रतिशोध लेते रहते हैं। परंतु आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि जब अवसर आया तो उन्हें अपने स्नेह में स्थान दिया, उनका पालन-पोषण किया और उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की।

उत्तम आचरण के प्रसंग में धैर्य का एक उदाहरण देखिए। एक बार एक स्त्री, जिसका पुत्र मर गया था, अपने पुत्र की कब्र पर विलाप कर रही थी। रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो आपने कहा, "हे स्त्री! धैर्य धारण करो। अल्लाह तआला की इच्छा सब पर प्रभावी होती है।" वह स्त्री रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को पहचानती न थी। उसने उत्तर दिया, "जैसे मेरा बच्चा मरा है, यदि तुम्हारा बच्चा भी मरता तो तुम्हें पता चलता कि धैर्य क्या होता है।" रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम यह कहकर आगे बढ़ गए "एक नहीं, मेरे सात बच्चे संसार से विदा हो चुके हैं।"

(उद्धृत: दीबाचा तफ़सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 394)

ऐसे अवसरों पर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पूर्व दुःखों का केवल इतना ही उल्लेख करते थे, उससे अधिक नहीं; और न ही उस शोक के कारण मानवता की सेवा में कभी शिथिलता की।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सहनशीलता की यह दशा थी कि जब अल्लाह तआला ने आपको शासन-सत्ता प्रदान कर दी, तब भी आप सबकी बातें सुनते थे। यदि कोई कठोरता भी करता तो आप मौन हो जाते और कभी कठोरता करने वाले को कठोरता से उत्तर न देते।

इतिहास में लिखा है कि मुसलमान रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को आपके नाम से नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक पद से पुकारते थे अर्थात् "या रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम" कहकर बुलाते थे। अन्य मतों के लोग अपनी परम्परा के अनुसार सम्मान करते हुए आपको "मुहम्मद" कहने के स्थान पर "अबुल क़ासिम" कहते थे, जो आपकी उपाधि थी अर्थात् क़ासिम के पिता; क्योंकि आपके एक पुत्र का नाम क़ासिम था, जो देहावसान कर गए थे।

एक बार एक यहूदी मदीना आया और उसने आपसे वाद-विवाद आरम्भ कर दिया। चर्चा के दौरान वह बार-बार कहता "ऐ मुहम्मद! बात इस प्रकार है।" रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बिना किसी संकुचन के उसकी बातों का उत्तर देते रहे, पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी इस उद्दंडता को देखकर व्याकुल हो रहे थे। अंततः एक सहाबी से न रहा गया। उसने यहूदी से कहा "सावधान! नाम लेकर बात न करो। यदि 'रसूलुल्ला' नहीं कह सकते तो कम से कम 'अबुल क़ासिम' कह दो।" यहूदी बोला "मैं तो वही नाम लूँगा जो इनके माता-पिता ने रखा है।" रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मुस्कराए और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा "देखो, यह ठीक कहता है। मेरे माता-पिता ने मेरा नाम मुहम्मद ही रखा था। जो नाम यह लेना चाहता है, उसे लेने दो और इस पर क्रोध प्रकट न करो।"

सहनशीलता की यह स्थिति थी कि कभी आप किसी कार्य से बाहर निकलते तो कुछ लोग आपका मार्ग रोककर खड़े हो जाते और अपनी आवश्यकताएँ बताने लगते। तब तक आप खड़े रहते जब तक वे अपनी बात समाप्त न कर लेते, फिर आगे बढ़ते।

कुछ लोगों को आदत होती है कि हस्त-मिलन करते समय हाथ देर तक पकड़े रखते हैं; तो आप भी उनका हाथ देर तक थामे रहते थे। यद्यपि यह कोई विशेष उपयुक्त रीति नहीं, फिर भी रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कभी अपना हाथ न छुड़ाते थे।

(उद्धृत: दीबाचा तफ़सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 394–395)

हर प्रकार के आवश्यकता-ग्रस्त व्यक्ति अपनी आवश्यकताएँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते। कभी आप याचक को उसकी आवश्यकता के अनुसार कुछ दे देते, तो वह अपनी लोभवृत्ति से प्रेरित होकर और अधिक माँगता, और आप उसकी इच्छा भी पूरी कर देते।

कभी लोग बार-बार माँगते रहते और आप प्रत्येक बार उन्हें कुछ न कुछ देते रहते। जो याचक ऐसे अवसरों पर विशेष रूप से निष्कपट प्रतीत होता, उसे उसकी स्थिति के अनुसार देने के पश्चात् आप केवल इतना कहते "यदि तुम अल्लाह तआला पर भरोसा रखते तो यह अधिक उत्तम होता।"

अतः एक बार एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने निरंतर आग्रह करके आपसे कई बार अपनी आवश्यकताओं के लिए धन माँगा। आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी, पर अंत में कहा "सबसे उत्तम अवस्था तो यही है कि मनुष्य अल्लाह तआला पर भरोसा करे।" उस सहाबी के भीतर निष्कपटता और आदर था। जो कुछ वह ले चुका था, आदरवश उसने लौटाया तो नहीं; पर भविष्य के विषय में उसने निवेदन किया "या रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! यह मेरी अंतिम बात है। अब मैं भविष्य में किसी भी स्थिति में किसी से कुछ नहीं माँगूँगा।"

उन्हीं सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के संबंध में एक घटना वर्णित है कि एक बार युद्ध चल रहा था। अत्यंत भीषण युद्ध की स्थिति थी। रणभूमि में भाले फेंके जा रहे थे, तलवारें चल रही थीं, बाण छोड़े जा रहे थे। सैनिक सैनिकों से लड़ रहे थे और गर्दनें कट रही थीं। ठीक उसी समय, जबकि वे शत्रुओं से घिरे हुए थे, उनका एक चाबुक हाथ से गिर गया। एक साथ चल रहा मुस्लिम सैनिक, जो पैदल था, इस विचार से झुका कि अधिकारी घोड़े से उतरेगा तो कहीं उसे हानि न पहुँच जाए; अतः उसने चाबुक उठाकर उनके हाथ में देने का विचार किया। उस सहाबीरज़ियल्लाहु अन्हु की दृष्टि उस सैनिक पर पड़ी तो उन्होंने कहा, "मेरे भाई, तुझे ख़ुदा तआला की शपथ! इस चाबुक को हाथ मत लगाना।" यह कहते हुए वे घोड़े से कूद पड़े और स्वयं चाबुक उठा लिया। फिर उन्होंने साथी से कहा, "मैंने रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से वचन दिया था कि मैं किसी से भी कोई याचना नहीं करूँगा। यदि मैं तुम्हें चाबुक उठाने देता, तो यद्यपि मैंने वाणी से तुमसे कुछ न माँगा होता, पर इसमें क्या संदेह था कि संकेत से यह याचना ही मानी जाती, और ऐसा करना

मुझे वचनभंग करने वाला बना देता। यद्यपि यह रणभूमि है, फिर भी मैं अपना कार्य स्वयं ही करूँगा।" इस संकटपूर्ण अवस्था में भी उन्हें अपना वचन स्मरण रहा।

(दीबाचा तफ़सीरुल क़ुरआन, अनवारुल उलूम, जिल्द 20, पृष्ठ 395–396)

अतः आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के जीवनचरित में इस प्रकार की और भी असंख्य घटनाएँ हैं आपके न्याय के विषय में, भावनाओं के सम्मान के विषय में, निर्धनों का ध्यान रखने के विषय में, जो हमारे लिए आदर्श हैं; निर्धनों की संपत्ति की रक्षा के विषय में; स्त्रियों से सद्व्यवहार के विषय में, जैसा कि पहले भी उल्लेख हुआ कि आप घर में पत्नियों से तथा सामान्य स्त्रियों से भी सद्व्यवहार करते थे; समस्त मानवजाति की सेवा के विषय में; पड़ोसियों से सद्व्यवहार और संबंधियों से सद्व्यवहार के विषय में असंख्य बातें हैं जो रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदर्श में हमें प्राप्त होती हैं। लोगों की संपत्ति की रक्षा के लिए आप क्या प्रयत्न करते थे; दूसरों के दोषों को छिपाने के विषय में आपकी क्या चेष्टा होती थी; पारस्परिक सहयोग के विषय में आप क्या उपदेश देते थे और आपका स्वयं का आचरण क्या था; क्षमाशीलता आप किस प्रकार प्रदर्शित करते थे; दोषों पर परदा डालना किस प्रकार करते थे; सत्य के विषय में क्या उपदेश थे; कु-संदेह से बचने के विषय में आपने क्या कहा; टोह लेने से बचने के विषय में क्या शिक्षा दी; निराशा से बचने के विषय में क्या बताया यहाँ तक कि पशुओं से सद्व्यवहार का भी उपदेश दिया और धार्मिक सहिष्णुता के विषय में भी आपने निर्देश दिए। ये सब बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए पूर्ण आदर्श हैं। जैसा कि पहले कहा गया, अवसरानुसार इन बातों का वर्णन आगे भी किया जाएगा।

इस समय मैं यहीं इस विषय को समाप्त करता हूँ और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूँ। आप फरमाते हैं:

"वह मनुष्य जिसने अपनी सत्ता से, अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपने आचरण से और अपनी आध्यात्मिक तथा पवित्र शक्तियों की प्रबल धारा से पूर्णता का नमूना ज्ञान और आचरण, सत्य और स्थिरता के साथ प्रदर्शित किया और पूर्ण मनुष्य कहलाया… वह धन्य नबी हज़रत ख़ातमुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, ख़ातमुर्रसुल, फ़ख़्रुन्नबिय्यीन, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं। हे प्यारे ख़ुदा! इस प्रिय नबी पर वह दया और आशीर्वाद भेज जो तूने आरंभ से आज तक किसी पर न भेजा हो।"

(इतमामुल हुज्जत, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 8, पृष्ठ 308)

अतः अल्लाह तआला हमें यह सामर्थ्य प्रदान करे कि हम रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदर्श पर आचरण करते हुए सच्चे मुसलमान बनने का प्रयास करें और आपके इस संदेश को संसार में पहुँचाने वाले भी बनें, ताकि हम संसार को भी आपके ध्वज के अधीन लाने वाले हों। अल्लाह तआला हमें इसकी सामर्थ्य प्रदान करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद।

नमाज़ के पश्चात् मैं जनाज़ा की नमाज़ भी पढ़ाऊँगा।

हुज़ूर अनवर ने प्रबंधकों से पूछा कि जनाज़ा आ गया है? इसके पश्चात् फ़रमाया:]

एक उपस्थित जनाज़ा श्रीमान लईक़ अहमद ताहिर साहब का है। यूनाइटेड किंगडम में वे सिलसिला के मुबल्लिग़ थे। गत दिनों तिरासी (83) वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजेऊन। दिवंगत मोसी थे। पश्चात् एक पुत्री और तीन पुत्र हैं।

लईक़ ताहिर साहब हज़रत शेख फ़ज़्ल अहमद साहब बटालवी रज़ियल्लाहु अन्हो, सहाबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ क़ादियान में जन्मे। उनके पिता ने 1907 में बैअत की थी। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् 1959 में लईक़ साहब ने जीवन समर्पित किया और जामिआ अहमदिया रब्वा में प्रवेश लिया। 1966 में वहाँ से शिक्षा पूर्ण की। अध्ययनकाल में उन्होंने उच्च माध्यमिक उपाधि, साहित्याचार्य उपाधि तथा अरबी साहित्याचार्य उपाधि भी प्राप्त की; और शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि भी प्राप्त की। जुलाई 1967 में उन्हें इंग्लैंड सेवा के लिए भेजा गया और वहाँ उन्हें मस्जिद फ़ज़्ल लंदन में नायब इमाम के रूप में सेवा का अवसर मिला। 1970 में वे पाकिस्तान लौट गए। सुधार तथा उपदेश विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर मुर्ब्बी के रूप में सेवा करते रहे। तत्पश्चात् उनका स्थानांतरण प्रकाशन विभाग में हुआ। वे मौलाना अबुल मुनीर नूरुल हक़ साहब के दामाद थे। आगे चलकर उन्हें जामिआ में अध्यापक नियुक्त किया गया और लगभग दस वर्ष तक अध्यापन का दायित्व निभाया। 1982 में उन्हें वकालत तबशीर में नियुक्त किया गया और नायब वकीलुत्तबशीर बनाए गए। जामिआ के काल में भी तथा पाकिस्तान में मुर्ब्बी रहते हुए भी वे ख़ुद्दामुल अहमदिया और अन्य उप-संगठनों में सेवा करते रहे। 1986 में उन्हें सिलसिला के मुबल्लिग़ के रूप में अमरीका भेजा गया। उसी वर्ष हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने उन्हें बुलाकर ग्लासगो में नियुक्त किया, जहाँ उन्हें मुर्ब्बी सिलसिला तथा मुबल्लिग़ सिलसिला के रूप में सेवा का अवसर मिला। 2005 में जब जामिआ यूके स्थापित हुआ तो उन्हें वहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। उनकी सेवा की अवधि लगभग उनसठ (59) वर्ष बनती है।

अता-उल-मुजीब राशिद साहब, इमाम मस्जिद फ़ज़्ल लंदन, कहते हैं कि स्वर्गीय इस्लाम धर्म के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले, ख़िलाफ़त के प्राण-न्योछावर सेवक, जीवन-समर्पण की प्रतिज्ञा की अपेक्षाओं को पूर्ण निष्ठा से निभाने वाले, अत्यंत सफल मुबल्लिग़-ए-सिलसिला थे। उन्हें दीर्घकाल तक समर्पण-भाव से धर्म-सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे मधुर और प्रभावपूर्ण ढंग से क़ुरआन-ए-करीम का पाठ किया करते थे। हृदयस्पर्शी शैली में प्रशिक्षण-संबंधी विषयों की ओर ध्यान दिलाते रहते थे। जिन-जिन जमाअतों में उन्हें सेवा का अवसर मिला, वहाँ अनेक उत्तम स्मृतियाँ छोड़ गए। वे जमाअत के सदस्यों से प्रेम और स्नेह रखने वाले, अत्यंत प्रिय सेवक थे। लेखन के क्षेत्र में भी उन्हें अनेक सेवाओं का अवसर मिला। प्रार्थनाओं पर उनकी विशेष एकाग्रता रहती थी। उन्होंने अपने घर की दीवारों को भी प्रार्थनापरक वाक्यों से अलंकृत कर रखा था। वे अनेक गुणों के धनी थे।

मुबारक सिद्दीक़ी साहब कहते हैं कि रब्वा के समय से मैं उन्हें जानता हूँ। अत्यंत प्रसन्नचित्त थे; स्वभाव में प्रसन्नता झलकती थी। प्रकृति में शालीनता थी। ख़िलाफ़त और जमाअत की व्यवस्था से अत्यधिक श्रद्धा थी और मिलने वालों को भी यही उपदेश देते थे कि वर्तमान ख़लीफ़ा की पूर्ण आज्ञापालन करो। वे यह भी कहते हैं कि उनकी जेब में हर समय एक छोटी नोट-पुस्तिका रहती थी; जहाँ कहीं कोई अच्छी बात देखते या सुनते, तुरंत लिख लेते थे किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं, जहाँ भी कोई उत्तम बात मिली, तुरंत अंकित कर ली। छात्रावस्था से ही बुज़ुर्गान-ए-सिलसिला की संगति में बैठना उनका नियमित अभ्यास था। अतः हज़रत हाफ़िज़ मुख़्तार अहमद साहब शाहजहाँपुरीरज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत-सी बातें उन्हें स्मरण थीं और अपनी सभाओं में सुनाया भी करते थे।

उनकी पुत्री क़ुर्रतुल-ऐन कहती हैं कि एक पक्ष जो मैंने पिता में अत्यंत प्रमुख देखा, वह उनकी प्रार्थनाओं का ढंग था। प्रार्थनाओं में तड़प, विनम्रता, भरोसा और अल्लाह तआला से स्नेहपूर्वक माँगने का अद्भुत रंग था। कभी ऐसा प्रतीत होता था कि जब तक अल्लाह तआला से कोई उत्तर न मिल जाए, वे प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। वे कहती हैं कि अल्लाह तआला का व्यवहार भी उनके साथ ऐसा था कि अनेक स्वप्नों के माध्यम से बहुत-सी बातें पूर्व से ही बता दी जाती थीं। प्रार्थना के विषय में वे हमें उपदेश देते थे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है प्रार्थना करने वाले की दशा ऐसी होनी चाहिए कि जो माँगे वह मानो प्राण त्यागने को तत्पर हो जाए; जो मर गया हो, वही माँगने जाए। मूल बात यह है कि याचक की दशा ऐसी होनी चाहिए मानो वह स्वयं का अस्तित्व मिटा चुका हो; ऐसी अवस्था में माँगोगे तो अल्लाह तआला भी सुनता है। अल्लाह तआला उनसे क्षमा और दया का व्यवहार करे, उनके पद ऊँचे करे। उनका जनाज़ा उपस्थित है; अभी जुमे के पश्चात् बाहर जाकर मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा।

दूसरा उल्लेख ग़ायब जनाज़े का है श्रीमान सीगा जालो साहब, नायब सदर क्षेत्र सीगो, माली के। उनका भी गत दिनों देहावसान हुआ। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना ईलेही राजेऊन। स्वर्गीय भी मोसी थे। मुबल्लिग़-ए-सिलसिला तासीर साहब लिखते हैं कि स्वर्गीय को रेडियो कार्यक्रम सुनकर 2016 में अहमदियत स्वीकार करने का सौभाग्य मिला और फिर अपने विश्वास में उन्होंने बहुत उन्नति की। अत्यंत समर्पित और सक्रिय अहमदी थे। जमाअती कार्यक्रमों में, चंदा आदि में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे। प्रतिदिन प्रातःकालीन, सायंकालीन और रात्रि की नमाज़ दूर से भी मस्जिद में आकर अदा करते थे। ख़िलाफ़त से असीम श्रद्धा और प्रेम था। 2018 में वसीयत की व्यवस्था में सम्मिलित होने का अवसर मिला और देहावसान तक प्रत्येक माह के आरंभ में अपनी आय से चंदा वसीयत अदा करते रहे। एक बार किसी कारण से छह महीने तक उन्हें वेतन नहीं मिला अफ़्रीका में ऐसे हालात हो जाते हैं तो वे चंदा न दे सके। अत्यंत व्याकुल रहे। अंततः अल्लाह ने कृपा की; वेतन मिलते ही पहला कार्य यही किया कि वसीयत का चंदा और शेष चंदे अदा किए। उनकी पत्नी और तीन पुत्र थे। वे उन्हें प्रचार करते थे; प्रचार के फलस्वरूप दो पुत्र अहमदी हो गए, पर पत्नी और एक पुत्र ने अहमदियत स्वीकार न की, जिस पर उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। अहमदियत पर विश्वास अत्यंत दृढ़ था। ग़ैर-अहमदियों और मुल्लाओं के विषय में उनकी राय अत्यंत स्पष्ट थी और कहा करते थे कि यदि ये लोग मसीह व महदी को स्वीकार नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो सकते। अत्यंत सक्रिय प्रचारक और जमाअत की सेवा करने वाले थे। अल्लाह तआला उनसे क्षमा और दया का व्यवहार करे।

(अल-फ़ज़्ल इंटरनेशनल, 9 जनवरी 2026, पृष्ठ 1–8)

★ ★ ★

# हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का पवित्र जीवन

(हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ि. जमाअत अहमदिया के द्वितीय ख़लीफ़ा)

## मदिरापान और जुआ

अरब लोग मदिरा के बहुत रसिया थे तथा मदिरा के नशे में बेहोश हो जाना, अनर्गल बातें निकालना उनके निकट कोई दोष नहीं अपितु एक गुण था। एक सभ्य मनुष्य की सभ्यता के लक्षणों में से यह भी था कि वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को ख़ूब मदिरापान कराए, प्रमुख लोगों के लिए दिन के पांच समयों में मदिरापान की सभाओं का आयोजन आवश्यक था जो उनका जातिगत खेल था परन्तु उसे उन्होंने एक कला बना लिया था। वे जुआ इसलिए खेलते थे कि अपने धन में बढ़ोतरी करें अपितु उन्होंने जुए को दानशीलता और प्रतिष्ठा का माध्यम बना रखा था। उदाहरणतया जुआरियों में परस्पर यह समझौता (Agreement) होता था कि जो जीते, वह जीते हुए माल से अपने मित्रों और अपनी जाति को भोज दे, युद्धों के अवसर पर जुए को ही धन एकत्र करने का साधन बनाया जाता था, युद्ध के दिनों में वर्तमान समय में भी लाटरी का प्रचलन बढ़ रहा है, परन्तु यूरोप और अमरीका के लाटरी पेशा लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि इस अविष्कार का श्रेय अरबों को जाता है। जब कभी युद्ध होता था तो अरब के क़बीले परस्पर जुआ खेलते थे और जो जीतता था वह युद्ध के अधिकतर ख़र्चे वहन करता था। अतः अरबों ने संसार के आरामों तथा सांसारिक सुविधाओं से वंचित होने का बदला मदिरापान और जुए से लिया था।

## व्यापार

अरब लोग व्यापारी थे तथा उनके व्यापारिक दल दूर-दूर तक जाते थे। वे एबीसीनिया से भी व्यापार करते थे तथा शाम और फ़लस्तीन से भी, हिन्दुस्तान से भी उनके व्यापारिक संबंध थे। उनके प्रमुख हिन्दुस्तान की निर्मित तलवारों को बहुत महत्त्व देते थे, कपड़ा अधिकतर यमन और शाम से आता था। ये व्यापार अरब के नगरों के हाथ में थे। शेष अरब लोग यमन और कुछ उत्तरी क्षेत्रों के अतिरिक्त ख़ानाबदोशी का जीवन व्यतीत करते थे, न उनके कोई शहर थे, न उनके कोई गांव थे, केवल क़बीलों ने देश के क्षेत्र बांट लिए थे, उन क्षेत्रों में वे घूमते-फिरते थे। जहां का जल समाप्त हो जाता था वहां से निकल पड़ते थे और जहां जल प्राप्त हो जाता था वहाँ डेरे लगा देते थे। भेड़, बकरियां और ऊँट उनकी सम्पत्ति होती थी, उनके बालों और ऊन से कपड़े बनाते थे, उन की खालों से तम्बू तैयार करते तथा जो भाग शेष रह जाता उसे मंडियों में ले जा कर बेच देते थे।

## अरब की अन्य परिस्थितियाँ तथा उनकी आदतें और स्वभाव

वे सोने-चांदी से अपरिचित तो न थे, परन्तु सोना और चांदी उनके लिए एक नितान्त दुर्लभ वस्तु थी, यहां तक कि उनके सामान्य लोगों तथा निर्धनों में आभूषण कौडियों और सुगंधित मसालों से बनाए जाते थे। लौंगों, ख़रबूज़ों और ककड़ियों आदि के बीजों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से वे हार तैयार करते तथा उनकी स्त्रियां ये हार पहन कर आभूषणों से निस्पृह हो जाती थीं, दुष्कर्म और दुराचार की अधिकता थी, चोरी कम थी परन्तु लूट मार की बहुतात थी। परस्पर लूट लेना वे एक जातिगत अधिकार समझते थे, परन्तु इसके साथ ही जितनी वचन-बद्धता अरबों में मिलती है उतनी अन्य किसी जाति में नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति अथवा शक्तिशाली जाति के पास आकर कह देता कि मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ तो उस व्यक्ति अथवा उस जाति के लिए अनिवार्य होता था कि वह उसे शरण दे। यदि वह जाति उसे शरण न दे तो वह सम्पूर्ण अरब में अपमानित हो जाती थी। कवि बहुत प्रतिष्ठा रखते थे, वे जैसे जाति के नेता समझे जाते थे। नेताओं के लिए मंझी हुई सरल और सुन्दर भाषा शैली का ज्ञान और यथा-संभव तो कवि होना नितान्त आवश्यक था। अतिथि-सत्कार प्रथा तो चरम सीमा तक पहुँची हुई थी। जंगल में भूला-भटका यात्री यदि किसी क़बीले में पहुँच जाता और कहता कि मैं तुम्हारा अतिथि आया हूँ तो वे निःसंकोच बकरे, मेढ़े और ऊँट ज़िब्ह कर के उनका सत्कार करते थे। उनके लिए मेहमान के व्यक्तित्व में कोई रुचि न थी, मेहमान का आ जाना ही उनके निकट जाति के मान-सम्मान में वृद्धि का कारण था तथा जाति का कर्त्तव्य हो जाता था कि उसका सम्मान करके अपने सम्मान को बढ़ाए, उस जाति में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त न थे, कुछ क़बीलों में यह सम्मान की बात समझी जाती थी कि पिता अपनी पुत्री की हत्या कर दे। इतिहासकार यह बात ग़लत लिखते हैं कि सम्पूर्ण अरब में लड़कियों की हत्या करने की प्रथा थी यह प्रथा तो स्वाभाविक तौर पर सम्पूर्ण देश में नहीं हो सकती क्योंकि सम्पूर्ण देश में इस प्रथा का प्रचलन हो जाए तो फिर उस देश की नस्ल किस प्रकार शेष रह सकती है। मूल बात यह है कि अरब और हिन्दुस्तान तथा अन्य देशों में जहां-जहां भी यह प्रथा पाई जाती है उसका प्रारूप यह हुआ करता है कि कुछ ख़ानदान स्वयं को बड़ा समझकर या कुछ ख़ानदान स्वयं को ऐसी विवशताओं में ग्रसित देखकर कि उनकी लड़कियों के लिए उनकी प्रतिष्ठानुसार रिश्ते नहीं मिलेंगे लड़िकयों की हत्या कर दिया करते हैं। इस प्रथा की बुराई उसके अत्याचार में है न कि इस बात में कि समस्त जाति में लड़कियां मिटा दी जाती हैं। अरबों की कुछ जातियों में तो लड़कियां मारने का ढंग यों प्रचलित था कि वे लोग लड़की को जीवित दफ़्न कर देते थे और कुछ में इस प्रकार कि वे उसका गला घोंट देते थे तथा अन्य ढंगों से हत्या कर देते थे। वास्तविक मां के अतिरिक्त अन्य माताओं को अरब लोग माता नहीं समझते थे तथा उन से विवाह करने में कुछ बुराई नहीं समझते थे। अतः पिता की मृत्यु के पश्चात् कई पुत्र अपनी सौतेली माताओं से विवाह कर लेते थे। अनेक विवाह करने की प्रथा सामान्य रूप से प्रचलित थी, विवाहों की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती थी, एक से अधिक बहनों से भी एक व्यक्ति विवाह कर लेता था, लड़ाई में बहुत अत्याचार से काम लेते थे जहां अत्यधिक वैर होता था, घायलों के पेट फाड़

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :

1800 3010 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

Web.www.alislam.org

www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

कर उनके कलेजे चबा लेते थे, नाक-कान काट देते थे, आँखें निकाल देते थे, दास प्रथा का सामान्य प्रचलन था, आस-पास के कमज़ोर कबीलों के लोगों को बलात् पकड़ कर ले आते थे और उन्हें दास बना लेते थे, दास को कोई अधिकार प्राप्त न थे। प्रत्येक स्वामी अपने दास से जो चाहता व्यवहार करता उसके विरुद्ध कोई पकड़ नहीं थी। यदि वह हत्या भी कर देता तो उस पर कोई आरोप न आता था। यदि किसी अन्य व्यक्ति के दास को मार देता तब भी वह मृत्यु-दण्ड से सुरक्षित समझा जाता था और स्वामी को क्षतिपूर्ति में कुछ धनराशि देकर मुक्त हो जाता था, दासियों को अपनी कामवासना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनाना स्वामी का क़ानूनी अधिकार समझा जाता था। दासियों की सन्तानें भी दास ही होती थीं और सन्तान वाली दासियां भी दासियां ही रहती थीं। अतः जहां तक ज्ञान और उन्नति का प्रश्न है अरब लोग बहुत पिछड़े हुए थे। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय दया और सद्व्यवहार का प्रश्न है अरब लोग बहुत पीछे थे, जहां तक स्त्री जाति का प्रश्न है अरब लोग अन्य जातियों से बहुत पीछे थे, परन्तु उनमें कुछ व्यक्तिगत और वीरतापूर्ण आचरण अवश्य पाए जाते थे और उस सीमा तक पाए जाते थे कि कदाचित उस युग की अन्य जातियों में उसका उदाहरण नहीं पाया जाता।

## हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) का जन्म

आप (स.अ.व.) का जन्म ऐसे ही वातावरण में हुआ। आप के जन्म से पूर्व ही आप के पिता जिनका नाम अब्दुल्लाह था का निधन हो चुका था तथा आप और आप की माता हज़रत आमिना को आप के दादा अब्दुलमुत्तलिब ने अपने संरक्षण में ले लिया था। अरब की प्रथानुसार आप (स.अ.व.) दूध पिलाने के लिए तायफ़ के पास रहने वाली एक स्त्री के सुपुर्द किए गए। अरब लोग अपने बच्चों को देहाती स्त्रियों के सुपुर्द कर दिया करते थे ताकि उनकी भाषा शुद्ध हो जाए और उनका स्वास्थ्य ठीक हो।

आप की आयु के छठे वर्ष आप की माता का भी मदीना से आते हुए जहां वह अपने ननिहाल वालों से मिलने गई थीं मदीना और मक्का के मध्य देहान्त हो गया तथा वहीं दफ़्न कर दी गईं और एक सेविका आप (स.अ.व.) को अपने साथ मक्का लाई और दादा के सुपुर्द कर दिया। आप आठवें वर्ष में थे कि आप के दादा जो आप के अभिभावक थे वह भी स्वर्गवासी हो गए तथा आप के चाचा अबू तालिब अपने पिता की वसीयत के अनुसार आपके अभिभावक हुए। आप को अरब से बाहर दो-तीन बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें से एक यात्रा आप ने बारह वर्ष की आयु में अपने चाचा अबूतालिब के साथ की जो व्यापार के उद्देश्य से शाम की ओर गए थे। आप की यह यात्रा कदाचित् शाम के दक्षिण-पूरब के व्यापारिक शहरों तक ही सीमित थी, क्योंकि इस यात्रा में बैतुल मुक़द्दस आदि स्थानों में से किसी की चर्चा नहीं आती। तत्पश्चात् आप ने युवावस्था तक मक्का में ही निवास किया।

## हिल्फ़ुलफ़ुज़ूल समिति में आप की सदस्यता

आप वाल्यकाल से ही चिन्तन-मनन की प्रवृत्ति रखते थे तथा आप लोगों के लड़ाई झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करते थे अपितु उन का निवारण कराने में भाग लेते थे। अतः मक्का और उस के आस-पास के क़बीलों की लड़ाइयों से तंग आकर जब मक्का के कुछ युवकों ने एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य यह था कि वह पीड़ितों की सहायता किया करेगी तो रसूले करीम (स.अ.व.) बड़ी प्रसन्नता के साथ उस समिति में सम्मलित हो गए। इस समिति के सदस्यों ने इन शब्दों में शपथ ग्रहण की कि

> "वे पीडितों की सहायता करेंगे तथा उनके अधिकार उन्हें लेकर देंगे, जब तक समुद्र में जल की एक बूंद शेष है। यदि वे ऐसा नहीं कर सकेंगे तो वे स्वयं अपने पास से पीड़ित का अधिकार पूरा कर देंगे।"

कदाचित इस शपथ को कार्यरूप में परिणित करने का अवसर आप के अतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। जब आप (स.अ.व.) ने नुबुव्वत का दावा किया तथा आप (स.अ.व.) के विरोध में मक्का के सरदार 'अबूजहल' ने सर्वाधिक भाग लिया और लोगों से यह कहना आरम्भ किया कि मुहम्मद (स.अ.व.) से कोई बात न करे, उनकी कोई बात न माने, हर संभव प्रयास से उनको अपमानित करे। उस समय एक व्यक्ति जिसे अबूजहल से अपना कुछ क़र्ज़ा वसूल करना था मक्का में आया और उसने अबूजहल से अपना क़र्ज़ा मांगा। अबूजहल ने उसका क़र्ज़ा अदा करने से इन्कार कर दिया। उसने मक्का के कुछ लोगों से इस बात की शिकायत की। कुछ युवकों ने शरारत की दृष्टि से उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का पता बताया कि उनके पास जाओ। वह इस बारे में तुम्हारी सहायता करेंगे। उन का आशय यह था कि या तो मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) उस विरोध के कारण जो मक्का वालों की ओर से सामान्यतया और अबू जहल की ओर से विशेषतया हो रहा था इसकी सहायता करने से इन्कार कर देंगे और इस प्रकार "नऊज़ुबिल्लाह" अरबों में अपमानित हो जाएंगे और क़सम तोड़ने वाले कहलाएंगे या फिर आप उस की सहायता के लिए अबूजहल के पास जाएंगे और वह आप को अपमानित करके अपने घर से निकाल देगा। जब वह व्यक्ति मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के पास गया और उसने अबूजहल की शिकायत की तो आप निःसंकोच उठकर उसके साथ चल दिए तथा अबूजहल के द्वार पर जाकर द्वार खटखटाया। अबू जहल घर से बाहर निकला और देखा कि उस को क़र्ज़ा देने वाला व्यक्ति मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के साथ उसके द्वारा पर खड़ा है। आप (स.अ.व.) ने उसे तुरन्त ध्यान दिलाया कि तुमने इस व्यक्ति का अमुक-अमुक ऋण अदा करना है उसे अदा करो। अबू जहल ने बिना कुछ कहा सुनी किए उसका ऋण उसे अदा कर दिया। जब शहर के अन्य रईसों ने अबू जहल की भर्त्सना की कि तुम हम से तो यह कहा करते थे कि मुहम्मद (स.अ.व.) को अपमानित करो और उस से किसी प्रकार का संबंध न रखो, परन्तु तुम ने स्वयं उसकी बात स्वीकार की और उसका मान-सम्मान किया, तो अबू जहल ने कहा ख़ुदा की सौगंध यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो तुम भी यही करते। मैंने देखा कि मुहम्मद (स.अ.व.) के दाएँ और बाएँ दो मस्त ऊँट खड़े हैं जो मेरी गर्दन मरोड़ कर मुझे मारना चाहते हैं[1]। अल्लाह तआला ही उचित जानता है कि इस की रिवायत में कोई सत्य है या नहीं या उसे वास्तव में अल्लाह तआला ने कोई चमत्कार दिखाया था अथवा उस पर सत्य का रोब छा गया था और उसने यह देख कर कि समस्त मक्का के कोप का भाजन एवं निन्दित मनुष्य एक पीड़ित की सहायता करने के आवेग में अकेला बिना किसी अन्य सहायक के मक्का के सरदार के द्वार पर खड़ा हो कर कहता है कि तुम्हें इस व्यक्ति का ऋण वापस करना है वह ऋण अदा कर दो तो सत्य के भय ने उसकी उद्दण्डता की भावना को कुचल दिया और उसे सत्य के समक्ष झुकना पड़ा।

(शेष)

★ ★ ★

स्वैच्छिक सत्कर्मों को लोगों से गुप्त रखने के विषय में मार्गदर्शन
खुदा तआला से किए गए वचनों तथा रमज़ान के उपवासों के संबंध में अपनी विभिन्न त्रुटियों के बारे में मार्गदर्शन
क्या रजस्वला स्त्री पर उपवास न रखने का प्रतिदान (फ़िद्या) अनिवार्य है? यदि किसी कारण से उपवास छूट जाएँ तो क्या उन्हें हर स्थिति में पूरा करना आवश्यक है?
क्या अपने भाई की तलाकशुदा स्त्री से विवाह करना उचित है?
यदि किसी ने स्वर्ण का दाँत लगवाया हो तो उसकी मृत्यु के पश्चात् वह दाँत निकालना उचित है?
क्या स्त्रियों के लिए सौंदर्य-गृह (ब्यूटी पार्लर) खोलना उचित है?
क्या ईदुल-फ़ित्र के अवसर पर भी ईदगाह या मस्जिद जाते समय ऊँचे स्वर में तकबीरें कही जा सकती हैं?
प्रमाण-पत्र में अपने पिता के स्थान पर माता का नाम अंकित कराने के विषय में मार्गदर्शन

# सय्यदना हज़रत अमीरुल मौमेनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से पूछे जाने वाले अहम प्रश्नों के उत्तर (क़िस्त 56)

प्रश्न: कनाडा से एक धर्म-सेवक ने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की सेवा में स्वैच्छिक सत्कर्मों को लोगों से गुप्त रखने के विषय में लिखते हुए निवेदन किया कि मुझे इस विषय में धार्मिक आदेश नहीं बल्कि हुज़ूर की व्यक्तिगत राय चाहिए। हुज़ूर ने अपने पत्र दिनांक ११ मई २०२२ में निम्न निर्देश प्रदान किए।

उत्तर: मूल बात यह है कि आप एक धर्म-सेवक होकर यह कह रहे हैं कि आपको धार्मिक निर्णय नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत राय चाहिए। मैं वही बात कहूँगा जो सत्य है और इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप है, और वह केवल मेरी राय नहीं होगी बल्कि सामुदायिक धार्मिक निर्णय के अनुसार होगी।

जहाँ तक आपके प्रश्न का संबंध है, इस्लाम ने दूसरों के मामलों में टोह लेने और अनावश्यक पूछताछ से रोका है। अतः जो कोई खुदा तआला की प्रसन्नता के लिए उपवास रखता है  चाहे वह स्वैच्छिक उपवास हो या अनिवार्य उपवासों की संख्या पूरी कर रहा हो  किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह उससे कुरेद-कुरेद कर पूछे कि उसने किस प्रकार का उपवास रखा है।

इसके अतिरिक्त इस्लाम ने अपने अनुयायियों को छिपकर और प्रकट रूप से दोनों प्रकार से सत्कर्म करने का निर्देश दिया है। विभिन्न उपासनाएँ मनुष्य के प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार के कर्मों पर आधारित हैं और दोनों के अपने-अपने लाभ हैं। आर्थिक बलिदान के विषय में खुदा तआला क़ुरआन करीम में कहता है:

“जो लोग अपना धन रात और दिन, गुप्त रूप से और प्रकट रूप से (खुदा तआला के मार्ग में) व्यय करते हैं, उनके लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिफल सुरक्षित है।”

और यह भी कहा:

“यदि तुम खुले रूप से दान दो तो यह भी उत्तम है, और यदि गुप्त रूप से निर्धनों को दो तो यह तुम्हारे लिए और भी उत्तम है।” (सूरा अल-बक़रा)

सैय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन प्रकट और गुप्त सत्कर्मों की क़ुरआनी शिक्षा की तुलना करते हुए कहा कि सुसमाचार में कहा गया है कि अपने सत्कर्म लोगों को दिखाने के लिए न करो, परंतु क़ुरआन कहता है कि ऐसा न करो कि सब कर्म छिपा लो, बल्कि परिस्थिति के अनुसार कुछ कर्म गुप्त रूप से करो जब यह आत्मिक शुद्धि के लिए उत्तम हो, और कुछ प्रकट रूप से करो जब लोगों के हित में हो  ताकि तुम्हें दोहरा प्रतिफल मिले और निर्बल लोग भी प्रेरित होकर सत्कर्म कर सकें… केवल वचन से ही नहीं बल्कि आचरण से भी प्रेरणा दो, क्योंकि अनेक स्थानों पर आदर्श का प्रभाव अधिक होता है। (कश्ती नूह)

अतः यदि किसी व्यक्ति की नीयत यह हो कि उसके प्रकट किए गए सत्कर्म से दूसरों को प्रेरणा मिले, तो पैग़म्बर करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इस कथन के अनुसार कि कर्मों का फल नीयत पर निर्भर है, यदि उसकी नेकी स्वतः लोगों पर प्रकट हो जाए तो उसे घबराने या कृत्रिम उपायों से छिपाने की आवश्यकता नहीं। बल्कि खुदा तआला से प्रार्थना करता रहे कि वह इसे अहंकार से बचाए और विनम्रता प्रदान करे, तथा उसके इस कर्म से अन्य लोगों को भी सत्कर्म की शक्ति मिले। क्योंकि यह भी कथन है: “जो भलाई की ओर मार्गदर्शन करता है, वह स्वयं करने वाले के समान होता है।”

दूसरा प्रश्न (भारत से) : एक व्यक्ति ने खुदा तआला से किए गए वचनों और रमज़ान के उपवासों के विषय में अपनी त्रुटियों का उल्लेख कर क्षमा का उपाय पूछा।

उत्तर: ये सब अधिकार-ए-खुदा तआली के अंतर्गत हैं, जिन्हें केवल खुदा तआला ही क्षमा कर सकता है। उपाय यह है कि सच्चे हृदय से पश्चात्ताप करते हुए निरंतर क्षमा याचना की जाए। यदि स्वास्थ्य उत्तम है तो छूटे हुए उपवास धीरे-धीरे पूरे किए जाएँ। यदि प्रतिदान स्वरूप कुछ धन दान करना चाहें तो यह भी उत्तम है। स्वीकार करना केवल खुदा तआला के हाथ में है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा तआला आपकी तौबा स्वीकार करे और भविष्य में दुष्प्रेरणाओं से बचाए।

तीसरा प्रश्न (जॉर्डन से)   रजस्वला स्त्री और छूटे रोज़े

रजस्वला अवस्था स्त्री की प्राकृतिक शारीरिक दशा है, जिसे क़ुरआन ने कष्ट की अवस्था कहा है। इस स्थिति में उपासना से छूट है। अतः इस अवधि के छूटे उपवास बाद में पूरे करना पर्याप्त है; प्रतिदान अनिवार्य नहीं। यदि कोई अतिरिक्त पुण्य के लिए देना चाहे तो रोक नहीं।

जो उपवास किसी वैध कारण से छूट जाएँ, उन्हें बाद में पूरा करना आवश्यक है  यह क़ुरआनी आदेश है। यदि कोई स्थायी असमर्थता हो, तभी प्रतिदान का प्रावधान है। हज़रत मसीह मौऊद ने कहा कि जो स्थायी रूप से असमर्थ हों, वही केवल प्रतिदान दें; अन्य लोग स्वस्थ होने पर उपवास अवश्य रखें।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्री के लिए भी यही आदेश है।

चौथा प्रश्न   : भाई की तलाकशुदा स्त्री से विवाह

क़ुरआन ने जिन स्त्रियों से विवाह निषिद्ध किया है उनमें भाई की तलाकशुदा या विधवा स्त्री सम्मिलित नहीं। अतः इद्दत की अवधि पूर्ण होने पर ऐसा विवाह वैध है।

पाँचवाँ प्रश्न    स्वर्ण दाँत निकालना

यदि दाँत आसानी से निकल सके तो निकालने में आपत्ति नहीं। परंतु यदि प्रत्यारोपित (इम्प्लांट) हो और निकालने से शव का अपमान हो, तो न निकालें।

छठा प्रश्न    सौंदर्य-गृह

स्त्रियों द्वारा संचालित और स्त्रियों के लिए सीमित हो, शील-संरक्षण रहे, अनावश्यक अंग-प्रदर्शन न हो  तो यह व्यवसाय वैध है।

सातवाँ प्रश्न    ईदुल-फ़ित्र पर तकबीर

ईदुल-अज़्हा में विशेष दिनों तक, जबकि ईदुल-फ़ित्र में घर से नमाज़ तक जाते समय तकबीरें कही जाती थीं; नमाज़ के बाद नहीं। यही प्रचलन अपनाया जाए।

आठवाँ प्रश्न    प्रमाण-पत्र में माता का नाम

पालन-पोषण में माता-पिता दोनों का समान योगदान है। परंतु नामकरण के विषय में क़ुरआन ने स्पष्ट कहा है कि संतान को उसके पिता के नाम से पुकारो। अतः विधिक दस्तावेज़ों में पिता का नाम ही अंकित होगा।

(संकलन: ज़हीर अहमद ख़ान, अभिलेख विभाग)

प्रश्न: जर्मनी से एक महिला ने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की सेवा में निवेदन किया कि जमाअत की एक वेबसाइट पर धार्मिक युद्धों में पकड़ी जाने वाली दासियों के विषय में एक लेख उपलब्ध है, जिसके अनुसार उन दासियों से संबंध स्थापित करने से पूर्व विवाह की

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.akhbarbadr.in

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly **BADAR** Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2026-2028 Vol. 10 Thursday 29 January 2026 Issue No. 5

Act. MANAGER :
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mobile : +91-9815639670
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
www.alislam.org/badr

आवश्यकता नहीं होती, जबकि यह दृष्टिकोण हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु द्वारा तफ़्सीर-ए-कबीर में व्यक्त मत के विपरीत है। साथ ही यह विचार प्रचार-संपर्कों तथा कुछ अहमदियों के लिए मानसिक अशांति का कारण बन रहा है।

इसी प्रकार एक अन्य महिला ने लिखा कि पवित्र क़ुरआन-ए-करीम में जो वाक्य आया है "जिन पर तुम्हारे दाहिने हाथों का अधिकार हुआ" उसके विषय में उसे व्याकुलता है। एक स्त्री होने के नाते वह संतुष्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि इस्लाम में व्यभिचार से रोका गया है और वे स्त्रियाँ भी किसी की पत्नियाँ हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि क्या उनसे संबंध उनकी सहमति से होते थे या बिना सहमति के भी अनुमति थी?

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने पत्र दिनांक 6 जून 2022 और 20 मार्च 2023 में इस विषय में निम्नलिखित मार्गदर्शन प्रदान किया।

उत्तर: मूल तथ्य यह है कि इस विषय की समुचित व्याख्या न होने के कारण अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिनका खंडन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी रचनाओं में किया है और आपके ख़लीफ़ाओं ने भी समय-समय पर इसका निरसन कर वास्तविक शिक्षा प्रस्तुत की है।

प्रथम बात यह है कि इस्लाम केवल इस कारण कि शत्रु युद्धरत है, उसकी स्त्रियों को पकड़ लाने और दासी बना लेने की कदापि अनुमति नहीं देता।

इस्लाम की शिक्षा यह है कि जब तक रक्तपातपूर्ण युद्ध न हो, तब तक किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता। पवित्र क़ुरआन-ए-करीम में अल्लाह तआला फरमाता है:

किसी नबी के लिए उचित नहीं कि वह भूमि में प्रचंड युद्ध किए बिना बंदी बनाए... (अल-अनफ़ाल: 68)

अतः जब यह शर्त रख दी गई, तो युद्धभूमि में वही स्त्रियाँ बंदी बनती थीं जो वास्तव में युद्ध में सम्मिलित होती थीं। इसलिए वे केवल सामान्य स्त्रियाँ नहीं, बल्कि युद्धरत पक्ष का भाग थीं।

उस युग के युद्ध-नियमों और सामाजिक प्रथाओं को देखें तो ज्ञात होता है कि जब युद्ध होता था तो दोनों पक्ष पुरुषों, बच्चों और स्त्रियों सभी को बंदी बनाकर दास-दासी बना लेते थे। अतः "दुष्कर्म का दंड उसके समान" (अश-शूरा: 41) के सिद्धांत के अधीन, उनके अपने स्वीकृत नियमों के अनुसार मुसलमानों का ऐसा करना आपत्तिजनक नहीं ठहरता, विशेषकर जब इसे उस समय और परिवेश की विधियों के संदर्भ में देखा जाए।

इसके बावजूद पवित्र क़ुरआन-ए-करीम ने इन युद्ध-नियमों को भी एक सिद्धांत से बाँध दिया:

"जो तुम पर अतिक्रमण करे, तुम भी उस पर वैसा ही अतिक्रमण करो"
(अल-बक़रह: 195)

"फिर जो इसके बाद भी सीमा का उल्लंघन करे उसके लिए पीड़ादायक दंड है" (अल-माइदा: 95)

यह वह उच्च सिद्धांत है जो पूर्व धर्मग्रंथों की युद्ध-शिक्षाओं से भी श्रेष्ठ है। अन्य ग्रंथों में शत्रु को पूर्णतः नष्ट कर देने की शिक्षा मिलती है, किंतु क़ुरआन ने उग्र परिस्थितियों में भी संयम सिखाया।

उस समय अविश्वासी मुसलमान स्त्रियों को बंदी बनाकर उनके साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार करते थे, मृत शरीरों का अंग-भंग करते थे। किंतु मुसलमानों को शिक्षा दी गई कि युद्धभूमि में भी किसी स्त्री या बालक पर तलवार न उठाएँ और मृत शरीरों का भी अपमान न करें।

इस विषय में यह भी स्मरणीय है कि प्रारंभिक अरब समाज में दो प्रकार की दासियाँ थीं:

(1) वे जो युद्ध के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से स्वामित्व में आई थीं। इनके बारे में शिक्षा थी कि स्वामी उन्हें उत्तम शिक्षा-दीक्षा दे, फिर मुक्त कर उनकी सहमति से विवाह करे ऐसे व्यक्ति को दुगुना पुण्य है (सहीह बुखारी)। इनसे विवाह के बिना शारीरिक संबंध की अनुमति नहीं थी।

(2) वे स्त्रियाँ जो इस्लाम पर आक्रमण करने वाले शत्रु के साथ युद्ध में सम्मिलित होती थीं और युद्धबंदी बनती थीं। यदि वे मुक्ति-प्रक्रिया (मुकातबत) न अपनातीं और युद्ध-लाभ में विभाजित होतीं, तो उस युग की प्रथाओं के अनुसार उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना मान्य था। विवाह की आवश्यकता के विषय में दो मत हैं।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तफ़्सीर-ए-कबीर में एक स्थान पर विवाह को आवश्यक बताया, पर अन्य स्थलों पर यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी दासियों के लिए औपचारिक विवाह आवश्यक न था। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु तथा हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने भी इसी विषय में परिस्थितिजन्य व्याख्या की है।

किन्तु यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि स्वतंत्र स्त्री के साथ विवाह के बिना संबंध स्थापित करना व्यभिचार है, जो इस्लाम में निषिद्ध है। दासियों का विषय ऐतिहासिक एवं युद्ध-परिस्थिति से संबंधित एक विशिष्ट व्यवस्था थी।

इस्लाम ने दासियों के साथ सद्व्यवहार, उनकी शिक्षा, तथा उन्हें मुक्त करने को महान पुण्य बताया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने विस्तार से स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था शत्रुओं की अत्याचारपूर्ण प्रथाओं के प्रतिकार में सीमित रूप से और अस्थायी रूप से अनुमत हुई थी। जैसे ही वे परिस्थितियाँ समाप्त हुईं और आधुनिक राज्य-व्यवस्था स्थापित हुई, दास-प्रथा का औचित्य भी समाप्त हो गया।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वर्तमान युग में दास-दासी रखने को अवैध और निषिद्ध घोषित किया है। अतः आज इस्लामी शरीअत के अनुसार दासता का कोई भी औचित्य नहीं है।

निष्कर्षतः: इस्लाम का मूल उद्देश्य मनुष्यों को दास बनाना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की ओर ले जाना है। प्रारंभिक काल की यह व्यवस्था विशेष युद्ध-परिस्थितियों से संबंधित थी, और उस समय भी दासों को मुक्त करने की अत्यधिक प्रेरणा दी गई। वर्तमान युग में यह प्रथा पूर्णतः समाप्त और निषिद्ध है।

★ ★ ★

पृष्ठ 1 का शेष

चिकित्सक को दिखाना पड़े।

यहाँ तक कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यह भी फ़रमाया करते थे कि संभव है कोई चिकित्सक किसी स्त्री के विषय में यह सलाह दे कि वह मुख न ढके, क्योंकि ढकने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और उसे चलने-फिरने की अनुमति दे। ऐसी स्थिति में यदि वह स्त्री मुख खोलकर चलती है तो भी यह जायज़ है।

बल्कि कुछ फ़ुक़हा के अनुसार, यदि कोई स्त्री गर्भवती हो और कोई कुशल दाई उपलब्ध न हो, तथा चिकित्सक यह कहे कि यदि वह किसी योग्य चिकित्सक से प्रसव नहीं कराएगी तो उसकी जान को ख़तरा है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह किसी पुरुष चिकित्सक से प्रसव कराती है तो यह भी जायज़ होगा। बल्कि यदि वह स्त्री पुरुष चिकित्सक से प्रसव न कराए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो अल्लाह तआला के समक्ष वह उसी प्रकार अपराधी मानी जाएगी जैसे उसने आत्महत्या की हो।

फिर यह विवशता कार्य की दृष्टि से भी हो सकती है, जैसे कृषक परिवारों की स्त्रियाँ, जिनका मैंने उदाहरण दिया है, कि उनका निर्वाह ही संभव नहीं जब तक वे अपने पुरुषों के साथ व्यवसाय में सहयोग न करें। ये सभी बातें "इल्ला मा ज़हर मिन्हा" के अंतर्गत ही सम्मिलित हैं।

(तफ़सीर-ए-कबीर, भाग 8, पृष्ठ 488, सूरह नूर, आयत 32 की व्याख्या के अंतर्गत)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad